वार्षिक रिपोर्ट

2020–21

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

राष्ट्रीय कैम्पा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और
श्रम एवं रोजगार
भारत सरकार

MINISTER
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
AND
LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भूपेन्द्र यादव
BHUPENDER YADAV

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संदेश

पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 को लागू किया जाना, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपवर्तित वन भूमि के बदले वनरोपण कार्यकलापों को सुव्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित करने की दिशा में एक अद्वितीय प्रयास है। काम्पा निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वनों, पारि-प्रणाली लाभों में समग्र एवं गुणात्मक सुधार लाने और मृदा एवं जल का संरक्षण करने के लिए किया जाता है।

वर्ष 2020-2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान, काम्पा के कार्यकलापों से स्थानीय लोगों, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की समस्याओं से निपटने में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। काम्पा कार्यकलापों ने वन्यजीव संरक्षण में तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने में सहायता प्रदान की है। वानिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधारों तथा सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एवं राज्य काम्पा प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयासों से हमारे देश में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संरक्षण में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

दिनांक : 08.03.2024

(भूपेन्द्र यादव)

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003, फोन : 011-20819190, 011-20819225, फैक्स: 011-20819299
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819190, 011-20819225, Fax : 011-20819299
ईमेल / E-mail : mefcc@gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey

राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA

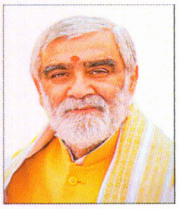

संदेश

विकास एवं प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने एवं वन एवं वन्यजीवों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के हस्तानांतरण के पश्चात प्रतिपूरक वनीकरण को समुचित रूप से कार्यान्वित करने में आवश्यक तेजी आई है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकारणों के साथ मिलकर प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित कैम्पा निधि से प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण उपचार करने, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध गतिविधियों को सहायता मिलती है। कैम्पा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गए 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण विकास तथा हरित रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कैम्पा निधि द्वारा नगर वन योजना के कार्यान्यवयन और हमारे शहरी और उप-शहरी परिदृश्य को हरा-भरा करने, नदियों का कायाकल्प और पुनर्स्थापन करने, वन कर्मचारियों की कार्यक्षमता का निर्माण करने, ड्रोन के उपयोग, मानव-पशु संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने, डिजिटल निगरानी और संचार, वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, पर्यावरण पर्यटन विकास और नवीन तकनीकों को बढ़ावा देकर क्षमता बढ़ाने में सहयोग मिला है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में कैम्पा कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं।

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण की **वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट** में इस वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि कैम्पा निधि का समुचित और सही तरीके से उपयोग करें, जिससे हम वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण का संरक्षण बेहतर तरीके से कर सकें और जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का निपटान कर सके।

मैं सभी हितधारकों को इस उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक रिपोर्ट को बनाने में योगदान देने वालों को हार्दिक साधुवाद देता हूं।

(अश्विनी कुमार चौबे)

कार्यालय : 5वां तल, आकाश विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-20819418, 011-20819421, फैक्स: 011-20819207, ई-मेल : mos.akc@gov.in
Office : 5th Floor, Aakash Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-20819418, 011-20819421, Fax : 011-20819207, E-mail : mos.akc@gov.in
कार्यालय : कमरा नं.173, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23380630, फैक्स: 011-23380632
Office : Room No. 173, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel. : 011-23380630, Fax : 011-23380632
निवास : 30, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड़, नई दिल्ली-110003, दूरभाष : 011-23794971, 23017049
Residence : 30, Dr. APJ Kalam Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-23794971, 23017049

लीना नन्दन
LEENA NANDAN

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

MESSAGE

The objective of Compensatory Afforestation is to compensate the loss of forest and ecosystem services on account of unavoidable diversion of forest land for various important developmental activities.

CAMPA activities have contributed significantly to the ecological restoration of degraded forests, enrichment of biodiversity, conservation of endangered species of wildlife, improvement of wildlife habitats, soil and water conservation and Research programmes in forestry and wildlife.

The Annual Report, 2020-21 of the National CAMPA gives an overview of various activities during the year, including a summary of the afforestation activities and research projects, as also the urban greening programme under Nagar Van Yojana in various cities across the country.

It is noteworthy that CAMPA activities provided livelihood support during the COVID-19 pandemic by generating green employment opportunities for rural and forest dependent communities in remote forest areas.

(Leena Nandan)

Place: New Delhi
Date: February 8, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003 फोन : (011)-2081-9408, 2081-9308, फैक्स : (011)-2081-9238
INDIRA PARYAVARAN BHAWAN, JOR BAGH ROAD, NEW DELHI-110 003, PH. : 011-2081-9408, 2081-9308, FAX : 011-2081-9238
E-mail : secy-moef@nic.in, Website : moef.gov.in

जितेंद्र कुमार
JITENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND
CLIMATE CHANGE

MESSAGE

Compensatory Afforestation and other measures are taken when a forest area is diverted for non-forestry purpose as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. With the introduction of Compensatory Fund Act (CAF), 2016 and subsequent CAF Rules, 2018, implementation of Compensatory afforestation measures has been further streamlined and made more effective. Effective implementation of the Compensatory Afforestation measures is aimed at maintenance of ecological stability.

The Annual Report, 2020-21 of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) provides a comprehensive overview of activities undertaken, detailing the utilization of CAMPA funds. The report contains information that may be useful for formulating more appropriate strategies to address critical issues being faced by the forestry sector. The information provided in the report may also be useful in research works for the conservation and scientific management of the valuable forestry resources in the country.

I appreciate the efforts of the Chief Executive officer, CAMPA, and his team of officers for publication of the Annual Report 2020-21 of CAMPA. The report is important as activities planned and implemented with the utilisation of funds available under CAMPA carries high significance for maintaining healthy forest cover across the country. I am convinced that National CAMPA's initiatives will lead to a holistic improvement in forests, playing a significant role in ensuring ecological security.

04.06.2024

(Jitendra Kumar)

Place: New Delhi
Date: 4th June, 2024

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-20819239, 20819209
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Ph. : 011-20819239, 20819209, E-mail : dgfindia@nic.in

प्राक्कथन

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) 3 अगस्त 2016 को अधिनियमित किया गया था और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 10 अगस्त 2018 को अधिसूचित किए गए थे। सीएएफ अधिनियम और नियम 30 सितंबर 2018 को लागू हुए, जिससे भारत के सार्वजनिक खाते के तहत एक विशेष निधि के रूप में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का निर्माण संभव हो सका। राष्ट्रीय निधि में जमा किया गया धन गैर–व्यपगत योग्य और सब्याज है। सीएएफ अधिनियम, 2016 संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते के तहत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण वन, वन्य जीवन, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की वृद्धि और वन और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुसंधान कार्यक्रमों से जुड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के विषयों को उठाता है। राष्ट्रीय कोष देश भर के विभिन्न शहरों में नगर वन/वाटिका योजना के तहत बड़े पैमाने पर शहरी हरियाली कार्यक्रम का भी समर्थन करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शहर को हरा–भरा, रहने योग्य, जलवायु के अनुकूल बनाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और शहर में पेड़ लगाने के अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजना (एनसीएपी) में योगदान देना है। पूरे भारत में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन जवाबदेही सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह ई– ग्रीनवॉच और डिजिटल वेब–पोर्टल के माध्यम से हरित आवरण के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के उन्नयन का समर्थन करता है।

यह वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान उपलब्धियों, कार्यकारी समिति, शासी निकाय और निगरानी समूह की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णय, 2020–2021 के वार्षिक खातों का विवरण, राष्ट्रीय कोष के तहत योजनाओं का अवलोकन प्रस्तुत करती है। कैम्पा निधि और लक्ष्य और उपलब्धियों सहित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार उपलब्धि सारांश, राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा निधि में फंड ट्रांसफर, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था और स्थिति, नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना एवं अनेक गतिविधियां शामिल है।

सुभाष

(सुभाष चंद्र)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	शब्द संक्षेप की सूची	xiii-xv
2.	दृष्टिकोण	xvi
3.	कार्यकारी सारांश	xvii-xviii
4.	अध्याय 1: अवलोकन	1–7
5.	अध्याय 2: राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा का गठन	9–16
6.	अध्याय 3: निगरानी और मूल्यांकन ढांचा	17–21
7.	अध्याय 4: राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान लिए गए निर्णय	23–33
8.	अध्याय 5: राष्ट्रीय कैम्पा के वर्ष 2020–21 के खाते और लेखापरीक्षा	35–52
9.	अध्याय 6: राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्तपोषित वर्ष 2020–2021 की योजनाएँ	53–56
10.	अध्याय 7: 2020–2021 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ	57–75

शब्द संक्षेपो की सूची

ए.सी.ए	अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण
एआईजीएफ	सहायक वन महानिरीक्षक
एएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन
एपीओ	वार्षिक परिचालन योजना
एआर	कृत्रिम पुनरुत्पादन
एएसडब्ल्यू	उन्नत मृदा कार्य
बीएनएचएस	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
सी एंड एजी	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी2सी	श्रेणी 2 केंद्र
सीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण
सीएएफ	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
सीएएमपीए	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएटीपी	जलागम क्षेत्र उपचार योजना
सीडीएच	डुगोंग महत्वपूर्ण पर्यावास
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीओएफजीआर	वन आनुवंशिक संसाधनों संबंधी उत्कृष्टता केंद्र
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव वार्डन
सीजेडए	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
डीजीपीएस	डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसएस	निर्णय सहायक प्रणाली
ईसी	कार्यपालक समिति
ईएसआरपी	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
एफसी अधिनियम	वन (संरक्षण) अधिनियम
एफजीआर	वन आनुवंशिक संसारकम
एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान

एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीबी	शासी निकाय
जीआईबी	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जीआईएम	हरित भारत मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आईडीडब्ल्यूएच	वन्यजीव पर्यावास एकीकृत विकास
आईआईएफएम	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
आईयूसीएन	अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
आईडब्ल्यूएमपी	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
आईडब्लूएसटी	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एलआईडीएआर	लाइट डिटेक्शन एवं रेंजिंग
एम–ई	निगरानी एवं मूल्यांकन
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पर्यावरण–विकास बोर्ड
एनबीडब्ल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनसीएसी	राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद
एनसीएएफ	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एनसीएएमपीए	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
एनसीडब्ल्यूएफ	राष्ट्रीय वन्यजीव फोरेंसिक केंद्र
एनएफआईसी	राष्ट्रीय वन कीट संग्रह
एनपीवी	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनवीवाई	नगर वन योजना
पीए	संरक्षित क्षेत्र
परिवेश	संवादमूलक, सदाशयी एवं पर्यावरणीय एकल खिड़की हब द्वारा अग्र–सक्रिय एवं उत्तरदायी सुविधा
पीसीए	दांडिक प्रतिकरात्मक वनरोपण

पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
आरईडीडी+	वनों की कटाई एवं वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना
एसएआर	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एससीएएफ	राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि
एसएफडी	राज्य वन विभाग
एसएमसी	मृदा एवं नमी संरक्षण
यूए	उपयोगकर्ता एजेंसी
डबल्यूएपीसी. ओएस	वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
डब्ल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान

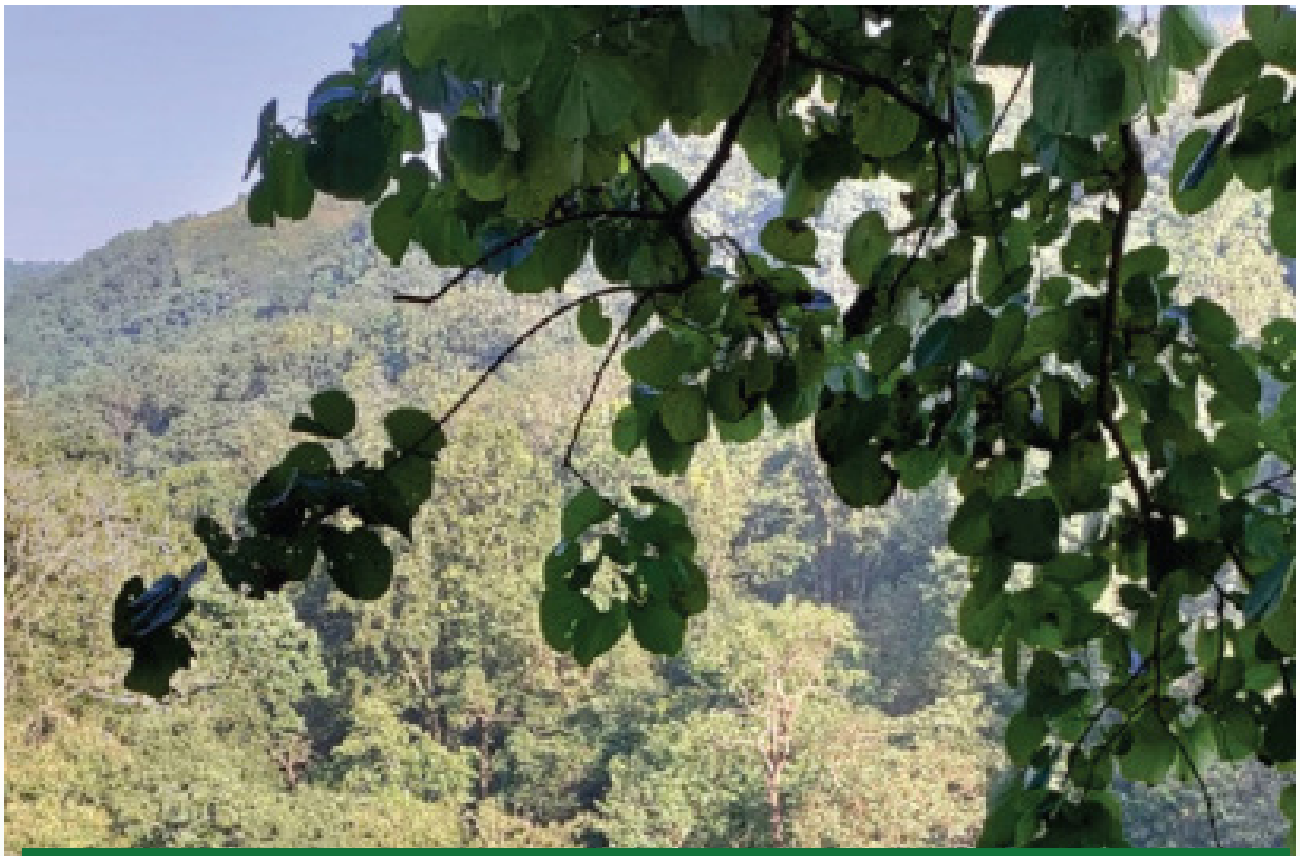

राष्ट्रीय कैम्पा का लक्ष्य है...

जीवन को बनाए रखने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण, पुनर्वनीकरण और बहाली के माध्यम से वनों और जैव विविधता का पुनर्निर्माण और संवर्धन करना

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) को 3 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और सीएएफ नियम, 2018 को 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था। सीएएफ अधिनियम और नियम 2018 30 सितम्बर 2018 से लागू हुए।

2. सीएएफ अधिनियम प्रतिकरात्मक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और सभी के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को जमा करने के लिए भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सार्वजनिक खातों के तहत निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य राशियाँ भी इसी निधि में रखी जाती है। यह अधिनियम तदर्थ कैम्पा द्वारा रखी गई धनराशि का 90: विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने और 10: अपने पास रखने का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास राष्ट्रीय निधि के रूप में निधि का प्रावधान है।

3. यह अधिनियम भारत के सार्वजनिक खातों और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों के तहत निधि की स्थापना और वनों के डायवर्जन विचलन के कारण वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा धन या क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने का प्रावधान करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रतिकरात्मक शुल्कों में प्रतिकरात्मक वनीकरण की लागत, अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य सभी राशियां शामिल हैं। वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई करना भी शामिल है।

4. सीएएफ अधिनियम कैम्पा निधि के प्रशासन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरों पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और निगरानी समूह शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कैम्पा प्राधिकारियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों की कार्यकारी समिति, संचालन समिति और शासी निकाय हैं।

5. सीएएफ अधिनियम के तहत उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कैम्पा प्राधिकरण द्वारा संचालन की वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। सीएएफ अधिनियम की धारा 19 के तहत, राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति राज्य कैम्पा निधि से कार्यान्वित की जाने वाली वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य संबंधित गतिविधियों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण देते हुए संचालन की वार्षिक योजना तैयार करती है, जो जांच के बाद और राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की मंजूरी को अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजा जाता है।

6. सीएएफ अधिनियम, 2016 लागू होने के बाद और 31.03.2021 तक 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 52,001.37 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

7. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुपालन में, उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा 2854.87 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति शुल्क राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास जमा की गई है।

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 2021–22 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के एपीओ को परिव्यय के लिए मंजूरी दे दी है। सीएएफ अधिनियम, 2016 और नियम, 2018 के अनुसार 7,458.23 करोड़ रूपये दिए गए हैं। कैम्पा की विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन में 4,755.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

9. इस क्षेत्र में प्रतिकरात्मक वनरोपण 951823.50 हेक्टेयर (लक्ष्य) में से 834238.50 हेक्टेयर) लक्ष्य का 87. 65:(राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह कार्य वर्ष 1980 से 31.03.2023 तक के लिए है।

10. राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, अपने अन्य कार्यों के अलावा, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के संचालन की वार्षिक योजना (एपीओ) को मंजूरी देती है और राष्ट्रीय निधि के तहत योजनाओं को अनुमोदन के लिए शासी निकाय को सिफारिश करती है।

11. राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसरण में तैयार की गई है और इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण की गतिविधियां शामिल हैं।

***

1

अवलोकन

1.1 प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं

i. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के डायवर्जन के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला जाता है।

ii. प्रतिकरात्मक निधि अर्थात प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, वन्यजीवों पर प्रभाव को कम करने के लिए एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत का एहसास किया जाता है, जहां भी वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए लागू होता है।

iii. इन प्रतिकरात्मक शुल्कों को राष्ट्रीय और राज्य निधि में 10:90 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये निधि गैर–व्यपगत योग्य और ब्याज देने वाले हैं। राष्ट्रीय निधि का रखरखाव भारत के सार्वजनिक खाते में किया जाता है, जबकि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की निधि का रखरखाव संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सार्वजनिक खाते में किया जाता है।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि कार्यों के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय कैम्पा) है। राष्ट्रीय कैम्पा में शासी निकाय, कार्यकारी समिति और एक निगरानी समूह शामिल हैं।

v. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कैम्पा (प्राधिकरण) प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर कार्य करते हैं।

vi. प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और किसी अन्य साइट–विशिष्ट गतिविधि/योजना के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार अनुमोदित योजनाओं/योजनाओं के अनुसार किया जाता है।

vii. शुद्ध वर्तमान मूल्य निधि का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव आवास में सुधार, जंगल की आग पर नियंत्रण और रोकथाम आदि से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

viii. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र प्रदान करते हैं।

ix. अपने अस्तित्व के पांच वर्शों में, राष्ट्रीय कैम्पा ने गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन भूमि के खिलाफ अनिवार्य प्रतिकरात्मक वनीकरण को पूरा करने का प्रयास किया है और राज्यों के समर्थन से मार्च, 2023 तक 10.50 लाख हैक्टर प्रतिकरात्मक वनीकरण हासिल करने में सक्षम रहा है।

x. राष्ट्रीय कैम्पा के प्रयास स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक पुनर्जनन और वनीकरण, मिट्टी और जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, आग की रोकथाम, आक्रामक प्रजातियों को हटाने और नियंत्रण के माध्यम से वन क्षरण के चालकों को समग्र रूप से संबोधित करके नश्ट हुए वनों की पारिस्थितिक बहाली की ओर अग्रसर हैं।

1.2 राष्ट्रीय कैम्पा में प्राप्त धनराशि की प्राप्ति और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरण की प्रक्रिया

i. सड़क, रेलवे लाइन, बिजली लाइन, बांध, खनन आदि जैसी किसी भी विकास परियोजना को षुरू करने के लिए साइट–विशिष्ट गैर–वानिकी गतिविधि के लिए वन भूमि का उपयोग करने की इच्छुक किसी भी एजेंसी को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवष्यक है। वन भूमि के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) में इसका प्रावधान हैं। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध वैकलि. पक वन भूमि के अभाव में प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा वन मंजूरी (एफसी) प्रदान की जाती है।

ii. उपयोगकर्ता एजेंसी को संबंधित राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिकरात्मक वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और ऐसी भूमि पर उठाए जाने वाले प्रतिकरात्मक वनीकरण, एनपीवी और अन्य लेवी की लागत जमा करने की आवष्यकता है। एनपीवी का मूल्य उपयोगकर्ता एजेंसी से वन भूमि की श्रेणी/प्रकार के आधार पर प्राप्त किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।

iii. ये धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के सार्वजनिक खातों में 10:90 के अनुपात में जमा की जाती है जो ब्याज देने वाली और गैर–व्यपगत योग्य होती है।

1.3 प्रतिकरात्मक लेवी का संग्रहण एक नज़र में: कैम्पा निधि निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत जमा की जाती है: –

1.3.1 अनिवार्य गतिविधियाँ:

i. प्रतिकरात्मक वनरोपण

ii. दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण

iii. कोई अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण,

iv. जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना

v. एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना

vi. अन्य साइट विशिष्ट गतिविधियाँ

1.3.2 शुद्ध वर्तमान मूल्य

1.3.3 ब्याज घटक

1.3.4 अन्य

1.4 संचालन की वार्षिक योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया

सीएएफ नियम संचालन की वार्षिक योजना को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं

संचालन की वार्षिक योजनाश का अर्थ है, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों के लिए वार्षिक योजना, जो मील के पत्थर, सफलता की

स्थितियों का वर्णन करती है और बताती है कि कैसे, एक रणनीतिक वार्षिक योजना को संचालन में लाया जाएगा। दिए गए बजटीय अवधि में वित्तीय वर्ष के दौरान, और इसमें अन्य बातों के अलावा, संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान का आधार, निश्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से निश्पादित की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की समय–सारणी शामिल है;

राज्यों के एपीओ को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) और सीएएफ नियम, 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एपीओ को मंजूरी देते समय राज्य एपीओ की प्रस्तावित सीएएमपीए गतिविधियों की जांच करती है। अधिनियम और नियमों के अनुसार उनकी अनुमति के संबंध में, व्यय की प्रवृत्ति, कैम्पा गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन की स्थिति, यह औचित्य कि गतिविधि को अन्य वानिकी योजनाओं/कार्यक्रमों से नहीं लिया जा सकता है, विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवष्यक समय आदि। प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना की अनिवार्य साइट–विशिष्ट गतिविधियाँ, जो वन और वन्यजीव मंजूरी का हिस्सा हैं, प्राथमिकता पर अनुमोदित की जाती हैं। अन्य वन क्षेत्रों में सामान्य वन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह जांच की जाती है कि राज्य वन विभाग की अन्य योजनाओं से कितनी गतिविधियाँ ली जा सकती हैं।

राज्य निधि के उपयोग के लिए, राज्य प्राधिकरणों द्वारा फॉर्म–XII में वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) तैयार की जाती है। एपीओ वन आवरण और अन्य संबंधित गतिविधियों में सुधार के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए भौतिक गतिविधियों और वित्तीय प्रावधानों की वार्षिक योजना है और इसमें संक्षिप्त विवरण, अनुमानित लागत, लागत अनुमान के लिए आधार, निश्पादन के लिए पहचानी गई एजेंसी और प्रत्येक की समय–सारणी भी शामिल है। एक वर्ष के दौरान राज्य निधि से क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधि के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एपीओ को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को हर साल 31 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में राष्ट्रीय प्राधिकरण को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भेजा जाता है।

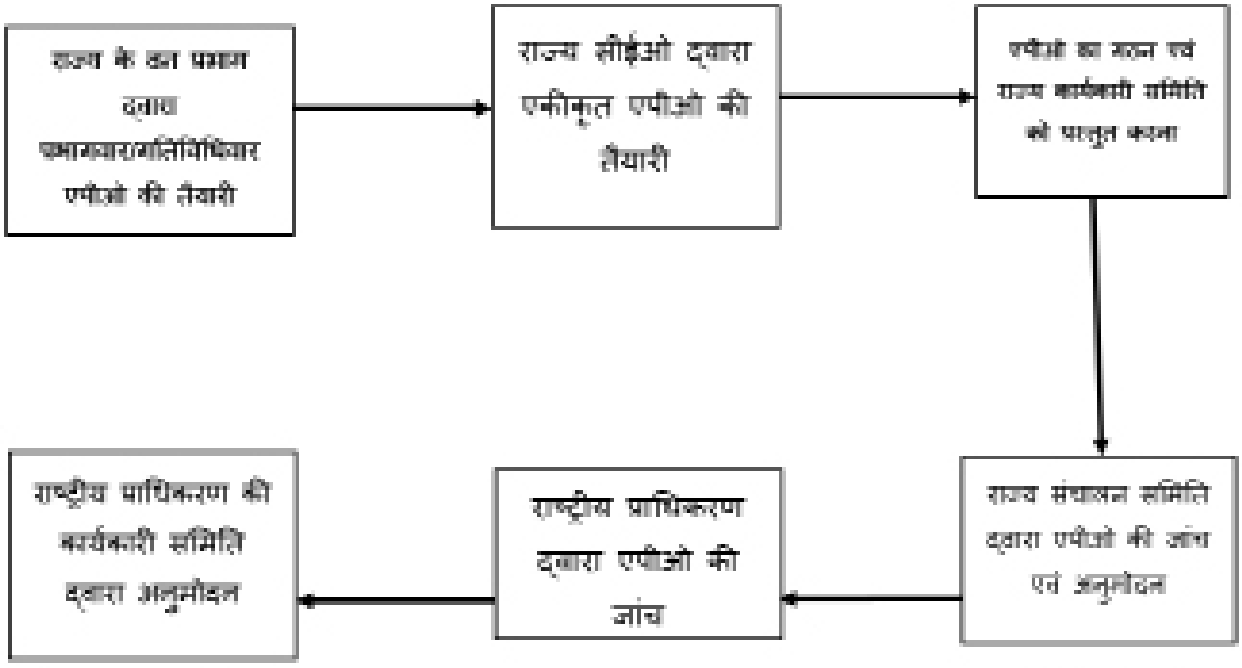

सीएएफ अधिनियम, 2016 और सीएएफ नियम, 2018। इस संबंध में सीएएफ अधिनियम, 2016 में प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. **साइट विशिष्ट गतिविधियाँ:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भूमि प्रतिकरात्मक वनरोपण (सीए), दंडात्मक सीए अतिरिक्त सीए, सीएटी योजना और किसी भी अन्य साइट–विशिष्ट योजना के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग वन के डायवर्जन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ राज्य द्वारा प्रस्तुत साइट विशिष्ट योजनाओं के अनुसार किया जाना है।

ii. **वन्यजीव गतिविधियाँ:** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णयों या संरक्षित क्षेत्रों में राज्य की वन भूमि के डायवर्जन के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना है।

iii. **एनपीवी निधि से गतिविधियां:** एनपीवी और दंडात्मक एनपीवी के लिए एकत्र किए गए सभी धन का उपयोग कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वन प्रबंधन, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी और अन्य वन उपज की आपूर्ति के लिए किया जाना है। उपकरणों और अन्य संबद्ध गतिविधियों को निर्धारित तरीके से किया जाता है।

1.5 राज्य निधि पर अर्जित ब्याज से अनुमत गतिविधियाँ: राज्य प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सहित आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को राज्य निधि में अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है।

1.6 राष्ट्रीय निधि का उपयोग

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए गैर–आवर्ती और आवर्ती व्यय, जिसमें इसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं।

ii. राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निश्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय।

iii. किसी भी संस्थान, सोसायटी, वन और वन्य जीवन के क्षेत्र में उत्कृश्टता केंद्र, पायलट योजनाओं, कोड और दिषानिर्देषों के मानकीकरण और वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया गया व्यय इसके अंतर्गत आता है।

***

ग्रासलैंड, क्वारधा, छत्तीसगढ़

मार्ग वृक्षारोपण, जगपुर, छत्तीसगढ़

प्रतिकरात्मक वनरोपण, सुरजपुर, छत्तीसगढ़

वृक्षारोपण कार्य, हरियाणा

2 राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा का गठन

2.1. राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय

राष्ट्रीय कैम्पा की शासी निकाय का गठन माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय कैम्पा के शासी निकाय की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	धारित पद का नाम, पदनाम और पता	राष्ट्रीय कैम्पा में स्थिति
i.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
ii.	पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, वित्त (व्यय), ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, कृषि, पंचायती राज, जनजातीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मंत्रालयों के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग)	सदस्य, पदेन
iii.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vii.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	पांच प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दस क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक से अधिक नहीं, एक समय में दो साल की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे।	सदस्य, पदेन
ix.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
x.	पर्यावरणविद, संरक्षणवादी, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिकों में से प्रत्येक में से पांच विशेषज्ञों को केंद्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं हो।	सदस्य, पदेन

2.1.1. शासी निकाय की भाक्तियाँ और कार्य:

राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करता है;

- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीति ढांचा तैयार करना।

- राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णय पर समीक्षा रिपोर्ट करना;
- प्रस्ताव को मंजूरी देना।
- अंतर–राज्य या केंद्र–राज्य प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य अधिकारियों को एक तंत्र प्रदान करना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऐसी प्रक्रियाएं तैयार करना जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

2.2 राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति का गठन वन महानिदेशक और विशेष सचिव (DGF&SS) की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों के साथ किया गया है। राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	धारित पद का नाम, पदनाम और पता	राष्ट्रीय कैम्पा में स्थिति
i.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
ii.	अपर महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii.	अपर महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv.	मिशन निदेशक, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v.	वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य
vii.	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
viii.	एक पेशेवर पारिस्थितिकीविज्ञानी, जो केंद्र सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
ix.	वानिकी, जनजातीय विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ, एक–एक विशेषज्ञ, जो केंद्र सरकार से नहीं होंगे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।	सदस्य
x.	राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य– सचिव

2.2.1. कार्यकारी समिति की भाक्तियाँ और कार्य:

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणों के संचालन की वार्षिक योजना का अनुमोदन;
- सीएएफ अधिनियम, 2016 के खंड 5(ख) के उप–खंड (iii) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना और योजनाएं/पायलट परियोजनाएं निश्पादित करना;

- राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों पर अनुबंध या प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध अधिषेश राशि का निवेष करना;
- राष्ट्रीय निधि में राशि की प्राप्ति के संबंध में अन्य दैनिक कार्य निश्पादित करना;
- खाते की किताबें और ऐसे अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
- तकनीकी और अन्य सहायता जिसकी राज्य प्राधिकारियों को आवष्यकता हो सकती है;
- जानकारी के लिए अपने निर्णयों को शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना;
- राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना;
- समय–समय पर शासी निकाय या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।

2.3. राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह

निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र के छह विषेशज्ञ और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार शामिल होंगे।

2.4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कैम्पा

राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य निधि के प्रबंधन और अधिनियम के उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक शासी निकाय शामिल होगा जिसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य प्राधिकरण का शासी निकायः

राज्य कैम्पा की शासी निकाय का गठन सदस्यों सहित राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है।

तालिका–1: शासी निकाय, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान–धारा–10(5)

क्र.सं.	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1	मुख्यमंत्री, राज्य और यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो	अध्यक्ष, पदेन
2	वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
3	मुख्य सचिव, राज्य सरकार	सदस्य, पदेन
4	राज्य सरकार के पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	सदस्य, पदेन
6	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
7	राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव, पदेन

2.4.1. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के शासी निकाय की शक्तियां और कार्य (धारा–17(1)),

राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय –

i. राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समग्र ढांचे के भीतर ऐसे राज्य प्राधि. करण के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना।

ii. राज्य प्राधिकरण के कामकाज की समय–समय पर समीक्षा करना।

iii. छह महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना ।

2.4.2. राज्य प्राधिकरण की राज्य स्तरीय संचालन समिति:–

राज्य कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन राज्य षासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पदेन सदस्यों सहित किया गया है। राज्य कैम्पा की संचालन समिति की संरचना इस प्रकार है:–

तालिका–2: संचालन समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान –धारा–11(2)

क्र.सं.	धारित पद का नाम, पदनाम और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2.	वन, पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव	सदस्य, पदेन
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF), राज्य	सदस्य, पदेन
4.	मुख्य वन्यजीव वार्डन	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	सदस्य, पदेन
6.	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख	सदस्य, पदेन
7.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
8.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.4.2.1. संचालन समिति की भाक्तियाँ एवं कार्य (धारा–18(1)),

राज्य प्राधिकरण की संचालन समितिः –

1. ऐसे राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना की जांच करें और ऐसे संषोधनों के साथ अनुमोदन करें जो वह उचित और उपयुक्त समझे और उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना।
2. राज्य निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना।
3. निवेष निर्णयों सहित कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर रिपोर्ट की समीक्षा करना।
4. राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन मंजूरी देना।
5. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना और उसे प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखने के लिए राज्य सरकार को भेजना।
6. अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
7. हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करना।

2.4.3. राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (धारा–11(3)),

राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति का गठन सदस्यों के साथ राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और

वन बल के प्रमुख (HoFF) की अध्यक्षता में किया गया है। राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार हैः

तालिका–3: कार्यकारी समिति, राज्य कैम्पा की संरचना/संविधान –ख्धारा–11(3),

क्र.सं	धारित पद का नाम, व्यवसाय और पता	राज्य कैम्पा में स्थिति
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राज्य	अध्यक्ष, पदेन
2.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य	सदस्य, पदेन
3.	वन और वन्यजीव संबंधी योजनाओं को देखने वाला मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
4.	वानिकी अनुसंधान से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं	सदस्य, पदेन
5.	नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	सदस्य, पदेन
6.	पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, आदिवासी विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7.	वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य, पदेन
8.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन	सदस्यों
9.	जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे	सदस्यों
10.	जनजातीय मामलों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा	सदस्य
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), राज्य कैम्पा	सदस्य सचिव

2.4.3.1. राज्य की कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य (धारा–19(1)),

राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति इस प्रकार हैः–

- संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना और उसकी सहमति के लिए राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को प्रस्तुत करना।
- राज्य निधि में उपलब्ध धनराशि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- ऐसे राज्य के राज्य कोष में उपलब्ध अधिषेश राशि का निवेष करना।
- खाते की किताबें और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखना।
- राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- राज्य प्राधिकरण में पदों पर संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की तैनाती करना।
- राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

- वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए जिम्मेदार बनना।
- राज्य प्राधिकरण के संबंध में अन्य रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार बनना।
- राज्य प्राधिकरण पर सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना और इसके लेनदेन पर सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना।
- राज्य प्राधिकरण या राज्य सरकार की शासी निकाय या संचालन समिति द्वारा समय–समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।
- राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

***

वंबू क्रत्रम पुण जन्म, बालासोर, ओडिशा

मैंग्रोव वृक्षारोपण, राजनगर, ओडिशा

3 निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

3.1. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और प्रदर्शन की समीक्षा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभाग द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों को शामिल करके की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण वृक्षारोपण के स्थान, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य वन विभागों द्वारा अपलोड किए गए वृक्षारोपण के भू–स्थानिक डेटा (बहुभुज) का विष्लेशण करता है।

3.1.1 सीएएफ अधिनियम धारा 9 (3) में राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह के गठन का प्रावधान है: निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक क्षेत्र के छह विषेशज्ञ शामिल होंगे। सूचना प्रणाली और सामाजिक क्षेत्र और महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।

3.1.2 सीएएफ अधिनियम धारा 16(1) में प्रावधान है कि निगरानी समूह–

i. (केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके धन के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मेंरू

   बषर्ते कि केंद्र सरकार रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विषेशज्ञों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके राज्यों और केंद्रषासित प्रदेषों में कार्यान्वित कार्यों की तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है;

ii. राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी धन का उपयोग करके निश्पादित कार्यों का निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा करना;

iii. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय करना।

iv. निगरानी समूह की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

3.1.3. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैम्पा गतिविधियों की निगरानी सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नानुसार की जा रही है –

i. आंतरिक निगरानीः – आंतरिक निगरानी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वन विभाग के वन अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है, उनके अलावा जिन्होंने कैम्पा गतिविधियों को अंजाम दिया है। प्रत्येक राज्य ने निगरानी

और मूल्यांकन विंग के प्रभारी के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। कई राज्यों में मॉनिटरिंग विंग के प्रभारी के रूप में पीसीसीएफएसीसीएफ/सीसीएफ हैं। छोटे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निगरानी डीसीएफ, एसीएफ द्वारा की जाती है। वरिश्ठ वन अधिकारियों को रेंज वन अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं और तकनीकी अधिकारियों के सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभाग और रेंज स्तर द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखकर नियमित रूप से आंतरिक निगरानी की जा रही है।

ii. तृतीय पक्ष निगरानीः – तृतीय पक्ष निगरानी उन तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कैम्पा गतिविधियों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रतिश्ठित गैर सरकारी संगठनों जैसे राज्यों के अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं हैं।

iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानीरू– क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी भी अपने समन्वय के तहत कैम्पा गतिविधियों की निगरानी करते हैं। चूंकि आईआरओ द्वारा वन विवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी/जांच और मंत्रालय के लिए अनुषंसित किया जा रहा है, इसलिए वे सीएएमपीए गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

iv. एफएसआई आधारित ई–ग्रीन वॉच रू ई–ग्रीन वॉच वृक्षारोपण की निगरानी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग आधारित पोर्टल है। यह एफएसआई, देहरादून द्वारा किया जाता है जो वृक्षारोपण की केएमएल फाइलों के सत्यापन पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे जमीनी सत्यापन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है।

v. राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निगरानीरू– राष्ट्रीय प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी समय–समय पर कैम्पा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं।

3.2. ई–ग्रीन वॉच पोर्टल

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई, 2009 के आदेश से हुई है और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एफएसआई और राज्य वन विभागों के परामर्श से एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, यह एक एकीकृत प्रणाली है जिसे कैम्पा निधि का उपयोग करके राज्य वन विभागों (SFDs) द्वारा किए जा रहे सभी वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी की सुविधा के लिए किया जाता है। ई–ग्रीन वॉच एक वेब–आधारित, उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है। यह कैम्पा के तहत बनाए गए वृक्षारोपण और संपत्तियों की निगरानी के लिए एक एकीकृत पोर्टल (http://www.egreenwatch.nic.in) है।

3.2.1. ई–भारतीय वन सर्वेक्षण की ग्रीनवॉचः

i. एसएफडी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों की जांच करता है।

ii. पूर्ण, अपूर्ण और अस्पश्ट तथा समीक्षाधीन जैसी विभिन्न श्रेणियों में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना।

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मासिक रिपोर्टिंग

iv. एनआईसी के साथ एसएफडी का प्रषिक्षण

अब तक, 30 से अधिक राज्यों एसएफडी/केंद्रशासित प्रदेशों ने एफएसआई से अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई–ग्रीन वॉच पर प्रषिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में 34 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ई–ग्रीन वॉच पोर्टल से जुड़े हुए हैं। एप्लिकेशन कैम्पा गतिविधियों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों की निगरानी करने में सक्षम हैरू

i. प्रतिकरात्मक वनरोपण भूमि (सीए साइटें) – गैर–वन गतिविधियों के लिए वन भूमि परिवर्तन के मुआवजे के रूप में प्राप्त भूमि।

ii. डायवर्टेड भूमि (डीएल) – वन भूमि को गैर–वन गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया गया।

iii. वृक्षारोपण कार्य (पीडब्लू) – सीए स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।

iv. अन्य वृक्षारोपण कार्य (ओपीडब्ल्यू) – गैर–सीए स्थलों पर किया गया वृक्षारोपण कार्य।

एफएसआई ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर एसएफडी/यूटी द्वारा अपलोड किए गए बहुभुजों का विश्लेषण और निग. रानी कर रहा है और इसे केएमएल प्रारूप में डाउनलोड किया गया है।

***

जारिंग, केंद्रीय पौधाशाला, कालाहांदी, ओडिशा

आरडीबीएफ, छत्तीसगढ़

वृक्षारोपण, महाराष्ट्र

वृक्षारोपण, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान लिए गए निर्णय

4

4.1. कार्यकारी समिति की बैठकें

4.1.1 5वीं कार्यकारी समिति की बैठक 23 अप्रैल, 2020 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और विवरण नीचे दिया गया है: –

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	कोविड–19 से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण राज्य प्राधिकरणों की एपीओ 2020–21 की अनिवार्य एवं समयबद्ध गतिविधियों की अनंतिम स्वीकृति	आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, बिहार, ओ. डिशा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और अंडमान और निकोबार के लिए एपीओ की मंजूरी।	–	संबंधित संचालन समितियों के अनुमोदन से अपने एपीओ प्रस्तुत करने वाले सभी राज्यों को आवश्यक वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों को करने के लिए तत्काल मंजूरी देने पर सहमति हुई ताकि समयबद्ध गतिविधियों को शुरू/पूरा किया जा सके।
2	एनआईसीएसआई ई–ग्रीन वॉच/वेब आधारित निगरानी प्रणाली योजना की निरंतरता के संबंध में व्यापक समीक्षा।	आईटी सहायता	–	ईसी(कार्यकारी समिति) ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
3	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध अव्ययित धनराशि का उपयोग करने की अवधि को 31 मार्च, 2020 से आगे बढ़ाया गया	–	–	चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
4	प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या पदों के निर्माण और तैनाती/भ. रने तक राष्ट्रीय प्राधिकरण में विभिन्न स्तरों पर 7 सलाहकारों, 6 कार्यालय सहायकों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों और 10 कार्यालय परिचारकों की नियुक्ति।	–	–	ईसी (कार्यकारी समिति) ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
5	राष्ट्रीय प्राधिकरण के सरकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर जानकारी।	–	–	चुनाव आयोग ने एजेंडा मद में दिए गए विवरण को देखा और चाहा कि भविष्य में विभिन्न संस्थानों को योजनावार जारी की गई राशि भी प्रदान की जाए।

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
6(ए)	सीएएफ अधिनियम की धारा 5 (बी) (iii) के अनुसार धन की मांग के लिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	–	–	ईसी (कार्यकारी समिति)ने जीआईएम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
(बी)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2020–21) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 331 वीं रिपोर्ट पर कार्रवाई।	–	–	समिति ने विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 331वीं रिपोर्ट से संबंधित एजेंडे का भी अवलोकन किया। सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 5 (बी) (3) पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है कि क्या मंत्रालय की किसी भी मौजूदा योजना को राष्ट्रीय निधि से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित करने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यह देखा गया कि ऐसी कानूनी राय लेते समय प्रश्नों को ठीक से तैयार किया जाना चाहिए।
7	सीएएफ अधिनियम की धारा 5(बी)(iii) के अनुसार धन की मांग के लिए केंद्रीय प्राधिकरण (सीजेडए) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।	**प्रस्ताव 1:** खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए एक एकीकृत प्रजाति पुनर्प्राप्ति योजना तैयार करना। **प्रस्ताव 2:** वन्यजीव रोग निगरानी और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की स्थापना।	प्रस्ताव 1रू 100 प्रस्ताव 2रू पहले साल के लिए 3 करोड़	1. लागत अनुमान हेतु आधार प्रस्तुत करना। 2. स्वतंत्र विषेशज्ञों द्वारा मध्यावधि समीक्षा करना। 3. प्रस्ताव की निगरानी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग की होगी। 4. भारतीय वन्य जीव संस्थान अथवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में किसी प्रकार का दोहराव नहीं होना चाहिए।

छठी कार्यकारी समिति की बैठक 27–28 मई, 2020 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	त्रिपुरा का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	21.51	ईसी **(कार्यकारी समिति)** ने एपीओ को मंजूरी दे दी.
2.	मेघालय		33.97	
3.	आंध्र प्रदेश		330.82	
4.	असम		88.34	
5.	हरियाणा		30	
6.	हिमाचल प्रदेश		158.38	
7.	गोवा		32.68	
8.	महाराष्ट्र		534.32	
9.	मणिपुर		27.29	
10.	राजस्थान		215.35	
11.	केरल		7.74	
12.	दिल्ली		19.55	
13.	छत्तीसगढ		963.24	
14.	ओडिशा		685.21	
15.	उत्तर प्रदेश		242.59	
16.	मध्य प्रदेश		860.96	
17.	उत्तराखंड		225.09	
18.	जम्मू और कश्मीर		184.83	
19.	बिहार		162.53	
20.	मिजोरम		32.66	
21.	अण्डमान और निकोबार		2.13	
22.	पंजाब		102.1582	ईसी (कार्यकारी समिति)ने आवश्यक गतिविधियों की जानकारी के अभाव में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पंजाब राज्य प्राधिकरण के संचालन की वार्षिक योजना की पूर्वव्यापी मंजूरी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
23.	जीबी मीटिंग पर कार्रवाई	-	-	1. यह सुनिश्चित करना कि तदर्थ कैम्पा का कोई भी पैसा अप्रयुक्त न रहे। 2. कैम्पा 5–वर्षीय व्यवसाय योजना तैयार करेगा। 3. निगरानी तंत्र में सुधार करना। 4. अनुसंधान और विकास गतिविधियों का समर्थन करें।
24.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के निर्णय के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन का उपयोग।	-	-	विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त धन/क्षतिपूर्ति शुल्क के लिए अलग–अलग खाते बनाए रखे जाते हैं। चूंकि मामला एक नीतिगत मामला है, इसलिए इसे नोडल कानूनी प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के साथ सुलझाया जाएगा।

4.1.3 7वीं कार्यकारी समिति की बैठक 30 जून, 2020 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	झारखंड के एपीओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घट. कवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	376.56	ईसी (कार्यकारी समिति) ने एपीओ को मंजूरी दे दी।
2.	चंडीगढ़		2.26	
3.	केरेला		15.79	
4.	उत्तर प्रदेश		275	
5.	गुजरात		240.69	
6.	तेलंगाना		432.60	
7.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल का शोध प्रस्ताव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिश के बाद निदेशक, आईआईएफएम से 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।	–	प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिये गये।

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
8.	योजना नगर वन योजना–2020.	1. शहरी जैव विविधता का संरक्षण करना। 2. स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। 3. हरित स्थान और प्रामाणिक वातावरण बनाना। 4. पौधों और जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना। 5. वायु प्रदूशण, ध्वनि प्रदूशण को कम करने, जल संचयन में वृद्धि और ताप द्वीप प्रभाव को कम करने में योगदान देना। 6. पाँच वर्ष की कार्यान्वयन अवधि। 7. 200 नगर वन/षहरी वन का विकास करना। 8. विकास का न्यूनतम क्षेत्र 10 हेक्टेयर है। और अधिकतम 50 हेक्टेयर। 11. योजना का सहयोगात्मक कार्यान्वयन। 12. 2 करोड़ रूपये विकास एवं अनावर्ती अनुदान। 13. राज्य वन विभाग एजेंसी (एसएफडी) को अनुदान प्रदान किया गया। 14. धनराशि की दो किस्तें जारी करना – स्वीकृत राशि का 70: और शेष 60: पहली किस्त के उपयोग पर। 15. गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों, उद्योगों, सिविल सोसायटी को शामिल किया जाएगा। 16. एनएईबी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल प्रभाग होंगे। 17. विस्तृत प्रस्ताव एनएईबी को प्रस्तुत किया जाएगा। 18. योजना का क्रियान्वयन एवं निगरानी एसएफडीए की जिम्मेदारी होगी।	एनवीवाई (2020–21 से 2024–25) की अस्थायी लागत रु. 415 करोड़ रुपये की वार्षिक आवश्यकता होगी।	ईसी (कार्यकारी समिति) ने सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 5(बी)(iii) के तहत एनएईबी द्वारा प्रस्तुत नगर वन योजना–2020 की योजना को सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 14(1)(iv) के अनुसार शासी निकाय की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया।
9.	उत्तर प्रदेश में स्थगित गतिविधि ''मानव–पशु संघर्ष न्यूनीकरण'' पर चर्चा	मानव–पशु संघर्ष को कम करने के लिए पिंजरे, रस्सियों आदि की चुनौती की कमी को दूर करना।	13.90	चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

4.1.4 8वीं कार्यकारी समिति की बैठक 25 अगस्त, 2020 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1.	पंजाब का ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	177.85	ईसी (कार्यकारी समिति) ने सभी राज्यों के एपीओ को मंजूरी दे दी।
2.	पश्चिम बंगाल		100.86	
3.	तमिलनाडु		66.63	
4.	उत्तर प्रदेश		167.01	
5.	बिहार		76.95	
6.	तेलंगाना		483.78	
7.	ओडिशा		773.39	
8.	कर्नाटक		173.67	
9.	सिक्किम		66.90	
10.	राजस्थान		65.34	
11.	उत्तर प्रदेश के आस्थगित मद		20.37	ईसी (कार्यकारी समिति) ने राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर विचार–विमर्श किया।
12.	हरियाणा		22.86	कार्यकारिणी ने एपीओ की स्थगित मदों को मंजूरी दे दी।
13.	आईआईएफएम (कार्यक्रम प्रभाग एनएईबी) के जंगल के बाहर पेड़ों पर पायलट परियोजनाएं (टीओएफ)	i. भारत में लकड़ी और एनटीएफपी में फ्यूचर/फॉरवर्ड ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। ii. वृक्षारोपण से वृक्ष उगाने वाले समुदाय की सुरक्षा के लिए वृक्ष बीमा शुरू करने की योजना तैयार करना। iii. एफआरए के लिए बाजार–आधारित टिकाऊ कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाएं।	1.93	चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

14.	पट्टों की अस्वीकृत केएमएल फाइलों की निगरानी भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून (कार्यक्रम प्रभाग एसयू प्रभाग) का एक प्रस्ताव	एक उपग्रह सर्वेक्षण करना और बेदखली के बाद अतिक्रमण की स्थिति और राज्य की स्थिति को रिकॉर्ड पर रखना	48.00	चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
15.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 5(ख)(iii) के तहत अनुमोदित योजनाओं के लिए धन जारी करने की प्रक्रिया।	जांच और धनराशि जारी करने के लिए व्यापक नोट तैयार करना।	–	धनराशि जारी करने की गहन जांच के बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन/मंजूरी जारी की जाएगी।

4.1.5 9वीं कार्यकारी समिति की बैठक 12 जनवरी, 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	स्कूल नर्सरी योजना के कार्यवृत्त की पुष्टि	–	–	बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2	ए.पी.ओ. अरुणाचल प्रदेश	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	316.74	ईसी (कार्यकारी समिति) ने अरुणाचल प्रदेश के एपीओ को मंजूरी नहीं दी।
3	आस्थगित और गैर–अनुमेय गतिविधियों पर विचार:			
(क)	महाराष्ट्र का ए.पी.ओ	मृदा नमी संरक्षण कार्य	65	ईसी (कार्यकारी समिति) ने एपीओ को मंजूरी दे दी।
(ख)	गोवा	4 वन्यजीव अभयारण्यों में प्रकृति शिक्षा केंद्र	1.87	ईसी (कार्यकारी समिति) ने गोवा के एपीओ को मंजूरी नहीं दी.

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
(ग)	अण्डमान और निकोबार	कैंपिंग उपकरण, मोटर साइकिल, चार पहिया वाहन, मिनी ट्रक, पानी के टैंकर, गंदे पानी आदि की खरीद, विभिन्न समुद्र तटों पर शौचालय और चेंजिंग रूम का निर्माण।	8.10	चुनाव आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सहमत नहीं हुआ।
(घ)	पंजाब	पशु तालाब का निर्माण (बारा)	1.5	
		प्राणी उद्यान, मिनी चिड़ियाघर और हिरण पार्क का प्रबंधन।	3.99	
(ङ)	तेलंगाना	मेडचल–यादगारपल्ली में उच्च लागत वाली सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण। 2. कैम्पा मॉनिटरिंग हॉल की स्थापना.	95.79	
(च)	कर्नाटक	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया	43.69	राज्य गतिविधियों को मदवार प्रस्तुत करें। ईसी 80–20 सिद्धांत के अनुसार संषोधित प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार करेगी। 51.80 करोड़ रुपये की गतिविधियों को कैम्पा से नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से वित्त पोशित करने की सलाह दी गई थी।
(छ)	उत्तर प्रदेश	बचत के उपयोग की स्वीकृति	37.95	ईसी 80:20 शर्तों के अधीन एपीओ को मंजूरी देगी। राज्य को पुनर्निर्मित वस्तु प्रस्तुत करनी होगी।
(ज)	जम्मू और कश्मीर	देनदारियों के दावों का निपटान	7.681	ईसी (कार्यकारी समिति)ने प्रस्ताव को पूरक एपीओ (2020–21) या नए एपीओ (2021–22) में शामिल करने की सलाह दी।

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
(त)	उत्तराखंड	अतिरिक्त / अनुपूरक ए.पी.ओ	185.86	ईसी (कार्यकारी समिति) ने राज्य सीईओ को संशोधित पूरक एपीओ 2020–21 फिर से जमा करने की सलाह दी।
(थ)	छत्तीसगढ		416.28	राज्य को 80:20 शर्तों के अनुसार संशोधित एपीओ फिर से जमा करना होगा।
4	पर्यावरण के वन मंजूरी मॉड्यूल परिवेष के रखरखाव, संवर्धन और उन्नयन का प्रस्ताव।	1. 12 प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ की तैनाती। 2.एनआईसीएसआई के माध्यम से जनषक्ति समर्थन की सोर्सिंग।	2.3	एफसी / एनआईसीएसआई को महीने के अंत तक 2021–22 के लिए संशो. धित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
5	साल बीज संग्रहण और इसके पुनर्जनन तथा इसके बाजार की गतिशीलता के प्रभाव पर अध्ययन।	–	0.90	चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी.
6	नागालैंड राज्य में स्थानांतरित खेती से व्यवस्थित भूमि उपयोग में परिवर्तन के संबंध में पायलट परियोजना।	राज्य के प्रत्येक 12 जिलों में 1 पायलट प्रोजेक्ट में कार्यान्वयन	40.01	राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। परियोजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी एनएईबी की जिम्मेदारी होगी।
7	''प्रमुख शीर्ष 8336–सिविल जमा'' के तहत भारत के सार्वजनिक खाते में सीएडी से राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि में धन का हस्तांतरण।	सीएएफ अधिनियम, 2016 और सीएएफ (लेखा प्रक्रिया) नियम 2018 के अनुसार।	3072.71	चुनाव आयोग ने रुपये हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया। इक्कीस राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के लिए 3072.71 करोड़।
8	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि हेतु आवेदन ब्याज दर का निर्धारण।	अल सीएएफ के लिए लागू ब्याज दर के आधार पर राज्य सीएएफ के लिए लागू ब्याज दर को अधिसूचित करना।		ईसी (कार्यकारी समिति)ने वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए राज्य निधि के लिए लागू ब्याज दर को क्रमशः 5.5% और 3.4% प्रतिशत तय करने की सिफारिश की।
9	वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।	18 महीने की अवधि के लिए आईसीएफआरई का प्रस्ताव। परियोजना की जांच एनएईबी द्वारा की गई थी।	1.17	ईसी (कार्यकारी समिति)ने इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया। परियोजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी एनएईबी की जिम्मेदारी होगी।

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
10	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अस्वीकृत दावों की अतिक्रमण स्थिति का सैटेलाइट सर्वेक्षण।	रिट याचिकाः वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम एमओएफई और अन्य	48	ईसी (कार्यकारी समिति)ने प्रस्ताव पर सहमति जताई।
11	आईसीएफआरई द्वारा प्रस्तुतभारत में आरईडीडी+ के कार्यान्वयन के लिए तत्परता का निष्पादन का कोई लागत विस्तार नहीं	—	1.2	
12	वन आनुवंशिक संसाधनों के सं. रक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का कोई लागत विस्तार नहीं	—	8.61	
13	ग्रीनवॉच पोर्टल के माध्यम से कैम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना	ग्रीनवॉच पोर्टल की कार्यप्रणाली में सुधार। 2. गूगल अर्थ आधा. रित इमेजरी सिस्टम से हटकर ई– ग्रीनवॉच को मजबूत करना। 3. एफएसआई सेल की स्थापना.	—	एफएसआई को तस्वीरें और निरीक्षण नोट अपलोड करने के संबंध में मानक प्रोटोकॉल विकसित करने का निर्देश दिया गया है। परिवेश और नई ई– ग्रीनवॉच के बीच एक जैविक लिंक स्थापित किया जाना चाहिए।

4.1.6 10 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 3 फरवरी, 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	उत्तराखंड के ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपीओ की विस्तृत घटकवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	128.55	ईसी (कार्यकारी समिति) ने एपीओ को मंजूरी दे दी।
2	छत्तीसगढ		383.68	
3	अरुणाचल प्रदेश		155.46	
4	कर्नाटक के आस्थगित मद	पिछले एपीओ में मंजूरी मिल गयी थी		ईसी (कार्यकारी समिति)ने कर्नाटक के एपीओ को मंजूरी दे दी।
5	डब्ल्यूआईआई द्वारा प्रस्तुत योजना लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का कोई लागत विस्तार नहीं।	—	100.38	योजना को ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

6	01–01.2021 से 31–03–2021 और 31–03–2021 की अवधि और 01–04–2021 से 31–03–2022 तक भाग II के लिए पर्यावरण के वन मंजूरी मॉड्यूल के रखरखाव, संवर्धन और उन्नयन के लिए परियोजना प्रस्ताव।	–	–	ईसी (कार्यकारी समिति)ने एफसी डिवीजन को वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी और यह निर्णय लिया गया प्रस्ताव को फाइल पर संसाधित किया जाएगा और उनकी सहमति के लिए आईएफडी को भेजा जाएगा।

4.1.7. 11 वीं कार्यकारी समिति की बैठक 26 मार्च, 2021 को वन महानिदेशक और विशेष सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यसूची	उद्देश्य	कुल परिव्यय	फैसले
1	आंध्र प्रदेश के ए.पी.ओ	राज्य कैम्पा ने एपी. ओ की विस्तृत घट. कवार गतिविधियों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।	–	ईसी (कार्यकारी समिति) ने एपी. ओ को मंजूरी दे दी।
2	बिहार		–	
3	चंडीगढ़		–	
4	हिमाचल प्रदेश		–	
5	जम्मू एवं कश्मीर		–	
6	मध्य प्रदेश		–	
7	मेघालय		–	
8	मिजोरम		–	
9	ओडिशा		–	
10	त्रिपुरा		–	
11	पश्चिम बंगाल		–	
12	अव्ययित शेष राशि, तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन मासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट (स्थिति) और लेखापरीक्षा से संबंधित जानकारी।	–	–	राज्यों को सभी विवरण तुरंत जमा करने की सलाह दी गई

***

5 राष्ट्रीय कैम्पा के वर्ष 2020-21 के खाते और लेखापरीक्षा

5.1 राष्ट्रीय कैम्पा के लिए खाते और लेखापरीक्षा

2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक खाते जुलाई 2022 में सीएजी द्वारा एक साथ तैयार और ऑडिट किए गए थे। भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के वित्तीय विवरणों पर राय का अस्वीकरण जारी किया गया था, जो मुख्य रूप से उचित रिकॉर्ड के गैर–उत्पादन/गैर–रखरखाव के कारण था। प्राधिकारी द्वारा कॉर्पस/पूंजीगत निधि–अनुसूची–। और जमा–अनुसूची–11 के प्रारंभिक/समापन शेष और खातों के गैर–रीकंसीलेशन से संबंधित है।

राष्ट्रीय कैम्पा कार्यालय ने सीएजी की टिप्पणियों को संबोधित करने और 2022–23 के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान सीएजी ऑडिट टीम के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड रखने के लिए सभी आवष्यक कदम उठाए। ऑडिट के बाद, सीएजी ने अपनी राय व्यक्त की कि वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है, इस एसएआर में समाधान और प्रारंभिक/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी की गई है। समापन टिप्पणियों में, यह बताया गया कि वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

SANJAY KUMAR JHA
DIRECTOR GENERAL

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

D.O. No. DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2020-21/4
Dated: 04 NOV 2022

Dear Shri Chandra,

We have audited the annual accounts of the National Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority for the year 2020-21 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated ....4/11/2022... During the course of audit, some deficiencies were noticed as per Annexure-A which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the Audit Report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards.

Yours sincerely,

Encl.: As above.

Sh. Subhash Chandra,
C.E.O.,
National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh,
Delhi – 110003

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

(क) 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का बैलेंस शीट

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कॉर्पस/पूंजी निधि 5,76,439.06 लाख रुपये है। वर्तमान देनदारियां और प्रावधान रु. 9,91,275.63 लाख है। कुल कॉर्पस/पूंजी निधि और देनदारियां रु. 15,67,714.69 लाख है। वर्तमान संपत्ति, भार, अग्रिम आदि की राशि रु. 15,67,714.06 लाख हैं।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity - National Authority (CAMPA)
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2021

(Amount in Lacs)

CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND	1	₹ 5,76,439.06	₹ 5,78,410.65
RESERVES AND SURPLUS	2	₹ -	₹ -
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	₹ -	₹ -
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	₹ -	₹ -
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	₹ -	₹ -
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	₹ -	₹ -
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	₹ 9,91,275.63	₹ 7,74,886.41
TOTAL		₹ **15,67,714.69**	₹ **13,53,297.06**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	₹ 2.74	₹ -
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	₹ -	₹ -
INVESTMENTS - OTHERS	10	₹ -	₹ -
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	₹ 15,67,711.95	₹ 13,53,297.06
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		₹ -	₹ -
TOTAL		₹ **15,67,714.69**	₹ **13,53,297.06**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(ख) 31.03.2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

1. अन्य स्रोतों से आय और अर्जित ब्याज की राशि रु. 6,959.37 लाख, अनुदान, सब्सिडी, स्थापना व्यय, अन्य प्रषासनिक व्यय पर व्यय रु. 8,930.97 लाख, घाटे का शेष राशि कॉर्पस/पूंजी निधि में 1,971.60 लाख रुपये है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount in Lacs)

INCOME	SCHEDULE	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	₹ -	₹ -
Grants/Subsidies	13	₹ -	₹ -
Fees/Subscriptions	14	₹ -	₹ -
Income from Investments (Income on Invcsl. from earmarked/endow. Funds transferred 10 Funds)	15	₹ -	₹ -
Income from Royalty. Publication etc.	16	₹ -	₹ -
Interest Earned	17	₹ 49.59	₹ 45.98
Other Incomce	18	₹ 6,909.78	₹ 5,31,732.22
Increasce(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	₹ -	₹ -
TOTAL(A)		₹ 6,959.37	₹ 5,31,778.20
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	₹ 31.33	₹ 51.84
Other Administrative Expenses etc.	21	₹ 30.96	₹ 48.04
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	₹ 8,868.23	₹ 3,980.00
Interest	23	₹ -	₹ -
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		₹ 0.45	₹ -
TOTAL(B)		₹ 8,930.97	₹ 4,079.88
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		₹ -1,971.60	₹ 5,27,698.32
Transfer to Special Reserve (Specify each)Transfer to/ from General Reserve		₹ -	₹ -
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		₹ -1,971.60	₹ 5,27,698.32
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(ग) 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत प्राप्त कुल प्राप्तियाँ रु. 16,38,833.67 लाख जबकि खर्चों के लिए भुगतान, विभिन्न परियोजनाओं, निवेष और जमा के लिए धन के खिलाफ भुगतान, अचल संपत्तियों पर व्यय और पूंजीगत कार्य प्रगति पर, अधिषेश धन/ऋण पर रिनिधि, वित्त शुल्क और अन्य भुगतान की राशि 16,38,833.67 लाख है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity - National Authority (CAMPA)

RECEIPT AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount in Lacs)

RECEIPT	Current Year		PAYMENTS	Current Year	
I. Opening Balances		₹ 1,353,297.07	I. EXPENSES		₹ 62.29
a) Cash in Hand	₹ -		a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	₹ 31.33	
b) Bank balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	₹ 30.96	
i) In Current accounts	₹ -				
ii) In deposit accounts	₹ -				
iii) In savings accounts	₹ 1,353,297.07		II. Payments Made Against Funds For Various Projects		₹ 8,868.23
			(Name of the Fund Should be Shown along with the particular of Payments made for each Projects)	₹ 8,868.23	
II. Grants Received		₹ -	III. Investments And Deposit Made		₹ -
a) From Goverment of India	₹ -		a) Out Of Earmarked/Endowment Funds	₹ -	
b) From State Goverments	₹ -		b) Out of Own Funds (Investment-Others)	₹ -	
c) From Others Sources (details)	₹ -				
(Grants for Capital & revenue Exp to be shown separately)	₹ -		IV. Expenditure On Fixed Assets & Capital Work-In-Progress		₹ 3.20
III. Income On Investments from			a) Purchase Of Fixed Assets	₹ 3.20	
a) Earmarked Endow Funds	₹ -		b) Expendituere On Capital Work-In-Progress	₹ -	
b) Own Funds (Oth Investment)	₹ -		V. Refund of Surplus Money/Loans		₹ -
IV. Interest Received		₹ 49.60	a) To the Government of India	₹ -	
a) On Bank Deposit	₹ 49.60		b) To the State Governments	₹ -	
b) Loans, Advances etc.	₹ -		c) To other Provider of Funds	₹ -	
V. Other Income (Specify)		₹ -	VI. Finance Charge (Interest)		
a) NCAC/NA Fund	₹ -		VII. Other Payments (Specify)		₹ 62,188.00
VI. Amount Borrowed	₹ -	₹ -	a) Funds Sanctioned/Release to states	₹ 62,188.00	
VII. Any Other Receipt (Give details)		₹ 285,487.00	VIII. Closing Balance	₹ -	₹ 1,567,711.95
a) Amount deposited by States to National Authority	₹ 285,487.00		a) Cash in Hand		
			b) Bank balances	₹ -	
			i) In Current accounts	₹ -	
			ii) In deposit accounts	₹ 1,567,711.95	
			iii) In savings accounts		
TOTAL		₹ 1,638,833.67	TOTAL		₹ 1,638,833.67

For and on behalf of National Authority (CAMPA)

(SUBHASH CHANDRA)
CEO, National Authority

(PREM KUMAR JHA)
Joint CEO, National Authority

(JAIPAL)
Consultant Audit

सुभाष चंद्र/SUBHASH CHANDRA
अतिरिक्त वन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कैम्पा
Addl. Director General & C.E.O. CAMPA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

PREM KUMAR JHA, IFS
Inspector General of Forests
NAEB, MoEF&CC
Room No.710, Pt. Deendayal
Antyodaya Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) for the year ended 31st March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of **Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA)** as at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were **not provided all the information and explanations as detailed in Para 'A'**, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up as per format of Financial Statements (format)

iii. In our opinion proper books of accounts and other relevant records have not been maintained by the Authority in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Non furnishing of important records/information

National CAMPA did not furnish the following important information/records:

1. As per Rule 33 of the Compensatory Afforestation Fund Rules 2018, details of Monthly and Annual statement of accounts were to be maintained in Form II and Form III respectively by the National CAMPA but the same is not done.

2. As per the information provided by the Authority, 41 bank accounts were being maintained during 2020-21 viz. 37 State/Union Territory wise bank accounts, two NCAC (Ad-hoc Authority) accounts, one main bank accounts and one Union Bank of India account. However, The National CAMPA did not prepare Bank Reconciliation Statements for these accounts for the year 2020-21.

3. Apart from the above, Audit noticed an anonymous Bank Account 'Corporation Bank Saving A/c' in the Annual financial statement for the year 2017-18 with a balance of Rs. 1100 therein. The account is still in operation. Though asked for, the Authority did not furnish the details of account viz. account number, location of the bank, actual balance in the account, interest earned on it etc.

4. National CAMPA did not furnish Receipt and Payment vouchers for the year 2020-21 sought by Audit.

5. Cash Book, Public Fund Accounts Register, Stock Register, Registers showing expenditure by Heads of Accounts, Monthly financial statement of accounts and Physical output, Quarterly Monitoring Register, Register for Annual Share of National Fund from the State Fund (State wise) and Register of grants/Loans were not furnished to Audit.

6. National CAMPA depicted Rs. 1352368.89 lakh and Rs. 1566734.19 lakh as opening and closing balances of Bharat Kosh as on 1st April 2020 and 31st March 2021 respectively. These figures make a part of Current Assets under Schedule-11 to its Balance Sheet. However, Audit could not ascertain how these balances were arrived at by the Authority due to non-receipt of any relevant document/ records in this connection.

B. BALANCE SHEET

1.Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7) Rs.991275.63 lakh

1.1.1 National CAMPA depicted an amount of Rs.285487.00 lakh under 'Amount received from states' during 2020-21 in Schedule-7 to its Balance Sheet whereas as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2020-21, the total receipts under the head 8336.00.102-National Compensation Afforestation Deposit were Rs.299096.49 lakh. National CAMPA needs to reconcile these two figures.

1.1.2 Total bank balance of Rs. 67630.44 lakh (as per the information provided by CAMPA regarding 41 bank a/cs) as on 31st March 2021 should have also been reflected under 'Current Liabilities' for being payable/ transferrable to Bharat Kosh. However, the non-depiction of the same by the National CAMPA in Schedule-7 caused the Current Liabilities to understate by this amount. However, the Current Assets remained understated by Rs. 66652.68 lakh.The closing balance of Receipt and Payment Account as on 31 March 2021 was thus also understated by Rs.66652.68 lakh.

C. INCOME AND EXPENDITURE ACCCOUNT

1. Income

1.1 Interest Earned (Schedule - 17) Rs.49.59 lakh

National CAMPA depicted an interest of Rs. 49.59 lakh earned on saving accounts during 2020-21 as a source of income. However, this interest gets credited to the account itself to be a part of the amount payable to the Public Account of India and hence, it should be treated as a part of liabilities not the actual income. Thus, the treatement of the interest of Rs. 49.59 lakh earned on savings accounts as the actual income in this case resulted in overstatement of receipts and understatement of liabilities by the same amount.

1.2 Other Income (Schedule-18) Rs.6909.78 lakh

National CAMPA during 2020-21 depicted an income of Rs.6909.80 lakh in Schedule-18 in lieu of 10 *per cent* transfer to National Fund. However, as per Statement No.13 of Union Government Finance Accounts for the year 2020-21 total receipt under the head 8121.00.128-National Compensatory Afforestation Fund was Rs.27598.03 lakh. This difference may be reconciled under intimation to Audit.

D. GRANTS-IN-AID

National CAMPA did not receive any Grant-in-aid during 2020-21.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the National CAMPA, monitoring and evaluation of works executed by the National CAMPA and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the National CAMPA should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2 (7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the National CAMPA shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National CAMPA'. The amount spent by the National CAMPA shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Rcoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2020-21, National CAMPA was provided a budget of Rs.1871.00 lakh under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.535.92 lakh.

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of CEO, National CAMPA through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

F. Opinion

In view of the information not furnished by the CAMPA as stated in the paragraph **'A'**, we are unable to form an opinion that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment account dealt with by this report are in agreement with this books of accounts. The important comments noticed during audit are stated in paragraphs **B** to **D** and other matters are stated in the Annexure-I.

Place: New Delhi

Date: 4/11/2022

For and on behalf of the C&AG of India

Director General of Audit
(Environment & Scientific Departments)

सीएजी की अलग ऑडिट रिपोर्ट 18 दिसंबर , 2023

भारत के सीएजी द्वारा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए प्रतिकरात्मक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के वित्तीय विवरणों पर एक अस्वीकरण या राय जारी की गई थी, जो मुख्य रूप से संबंधित उचित रिकॉर्ड के गैर–उत्पादन/गैर–रखरखाव के कारण थी। प्राधिकरण द्वारा ष्कॉर्पस/पूंजी निधि–अनुसूची। और जमा–अनुसूची 11 का प्रारंभिक/समापन शेष और खातों का गैर–रीकंसीलेशन। वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण में, जबकि इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया गया है, समाधान और प्रारंभिक/समापन शेष की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों पर वर्ष 2022–23 के लिए एसएआर में टिप्पणी की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है:

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

NO: DGA/ESD/EA/SAR/CAMPA/2022-23/194 दिनांक: 18 DEC 2023

सेवा में

Member Secretary,
Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA,
Indira Paryavaran Bhawan
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Jor Bagh,Delhi – 110003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi for the year 2022-23**

महोदय

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority National CAMPA, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेसोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज़ जो संसद में प्रस्तुत किया जाए, उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय एवं दो प्रतियां भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्याल को सूचित की जाएं।

भवदीया

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक(पर्यावरण)

Separate Audit Report on the Audit of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority for the year ended 31st March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of **National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (National Authority)** as at 31 March 2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

(2) This separate audit report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

(3) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(4) Based on our audit, we report that:

i. We were obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, except for the issues mentioned below, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A disclaimer of opinion on the financial statements of Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) was issued by the C&AG of India for the years 2018-19 to 2021-22, primarily due to non-production/non maintenance of proper records relating to opening/closing balances of 'Corpus/Capital Fund- Schedule 1 and Deposit-Schedule 11' by the Authority and non-reconciliation of accounts. In the financial statement for the year 2022-23, while these issues are largely resolved, the issues regarding reconciliation and the reliability of opening/closing balances that persist have been commented in this SAR.

(A) BALANCE SHEET

A. Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): Rs.2331644.38 lakh

1.1.1 Overstatement of current liabilities

Under Schedule 7-Current Liabilities an amount of Rs 6030.16 lakh has been shown under head "statutory liabilities-others (interest on State Deposits 8336). However, this includes interest amounting to Rs 3139.42 lakh for the period 2018-19 to 2021-22. This had resulted in overstatement of current liabilities and understatement of prior period income both by Rs 3139.42 lakh.

1.1.2 Corpus/Capital Account

National Authority CAMPA had depicted an opening balance amounting to Rs 116.57 crore in the annual accounts for the year 2018-19, the amount having been transferred from the ad-hoc CAMPA. Due to non-availability of basic records, audit was unable to verify the same. However, audit has relied on the audited financial statements Adhoc CAMPA for the year 2017-18 as certified by the statutory auditor i.e. M/s AVA & Associates Chartered Accounts.

B. Income and Expenditure Account

1. Income Rs.92421.40 lakh

1.1 Income from Investment (Schedule-15) Rs. 59830.95 lakh

1.1.1 Overstatement of Income

Income of Rs. 59830.95 lakh shown as income towards 'Income from Investment' received on closure of FD included an amount of Rs. 57087.70 lakh kept under flexi-deposits in the bank account at the beginning of the financial year. This had resulted in overstatement of income besides understatement of prior period income by Rs. 57087.70 lakh.

2. Expenditure Rs. 24359.47 lakh

2.1 Establishment Expenses (Schedule-20): Rs. 81.45 lakh

2.1.1 Overstatement of Expenditure

(i) National Authority had made payment of Rs.6.43 lakh pertaining to March 2022 (financial year 2021-22) to its contractual staff in April 2022 (financial year 2022-23). Similarly, an expenditure of Rs.1.64 lakh towards "Other Administrative Expenses" (hiring of vehicles) pertaining to the prior period has been booked in the financial year 2022-23. This had resulted in overstatement of Expenditure besides understatement of Prior-period Expenses both by Rs. 8.07 lakh (6.43 lakh + Rs 1.64 lakh).

2.1.2 Understatement of Expenditure

(i) National Authority had made payments of Rs.10.25 lakh during the financial year 2023-24 towards payment to contractual staff & consultants etc. for previous years. However, no provisioning for expenses payable during 2022-23 has been made in account. This had resulted in understatement of expenditure and current liabilities during 2022-23 both by Rs 10.25 lakh.

C. General

1. Improper accounting of State Deposits as liabilities of National Authority

The Compensatory Afforestation Fund Act 2016 provided for establishment of funds (viz. National CAMPA Fund and respective State CAMPA Funds) under the Public Account of India and Public Account of each State crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act 1980.

As per the accounting procedure prescribed under para 3 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, all the monies collected by State Governments and Union Territory Administrations placed under the ad-hoc Authority and deposited in the nationalized bank needs to be transferred to the interest-bearing section of the Public Account of India under 'National Compensatory Afforestation Deposits' for each State and Union territory. Each State or Union Territory should be a separate sub-head divided into detailed head for various activities viz. Compensatory Afforestation, Additional Compensatory Afforestation, Penal Compensatory Afforestation, Net Present Value and Protected Areas etc. While remitting the money to the GOI, the ad-hoc Authority should provide detailed state-wise break-up and make one-time transfer of 10 percent share of Central Govt. to the National Fund. Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.

However, the annual accounts of the National Authority for the year 2022-23 revealed that no disclosure of State-wise balances was made in the accounts in respect of the 'National Compensatory Afforestation Deposits' indicating activity-wise details of the money held against each such state. Moreover, the amount transferred in the Public Account of India for various States/Union Territory from the ad-hoc authority still held under 'National Compensatory Afforestation Deposits' was yet to be disbursed completely to the respective States and Union Territories.

Hence, the state-wise/activity-wise bifurcation of the liabilities of Rs. 23,316.40 crore shown towards 'State Deposits & Interest thereon' under Schedule–7 "Current Liabilities" was not disclosed in the accounts besides continuous addition therein in violation of the approved/ notified accounting procedure.

2. Improper flow of CAMPA Funds to Union Public Account instead of respective State Funds

As per the accounting procedure rules, the monies received by the State Governments from user agencies needs to be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits', out of which 90 percent was to be transferred to the SCAF and 10 percent in the National Fund. However, the User Agencies were found violating the above procedure by depositing these receipts in the bank accounts, for respective states, controlled by the National Authority for onward transfer to the Public Account of GOI for further distribution instead of directly remitting these funds to the 'State Compensatory Afforestation Deposits'.

In reply, the Authority stated (October 2023) that the existing practice of collecting the compensatory levies by the National CAMPA through PARIVESH portal continued in view of larger public interest.

3. Non-reconciliation of the balances of National/State Deposits with Public Account

As per the accounting procedure prescribed under para 7 of the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules 2018, the Pay and Accounts Office, MoEF&CC has to maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation on monthly basis with the National Authority. However, no reconciliation from the broadsheets of receipt and payments of PAO was made to ascertain the reasons for differences in the balance shown in the Annual Accounts (National Authority) and Public Account as per Finance Accounts related to MoEF&CC during the period from 2018-19 to 2022-23 leading to variation of Rs. 864.56 crore (i.e. excess amount shown by National Authority for 'National Fund & State Deposits' not reflected in the Public Account) in the year 2022-23. Hence, immediate reconciliation of balances needs to be carried out with reference to the broadsheets of Receipts and Payments against each State, as maintained by the P&AO-MoEF&CC, to ascertain the correctness of balances depicted in National Fund as well as State Deposits (Schedule 11).(As per Annexure Attached)

4(a). Improper disclosure on non-establishment of State/UT Compensatory Afforestation Funds and amount held thereagainst with National Authority

Consequent upon issue of notification for establishment of the respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Govts., in terms of Section 4(1) of the CAMPA Act, the state share (90 percent of the monies lying with ad-hoc authority) to the 'National Compensatory Afforestation Deposits' would have to be transferred to the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.(PG 21,23) Though the State/UT Authorities were notified for 33 States/UTs from October 2018 to September 2020, no disclosure related to the status of funds held against remaining 3-4 UTs/States[1] yet to be established/notified was made in the accounts. Further, the information related to Funds held in Public Account against deposits related to each State/UTs was not found disclosed.

---

[1]**UTs:** Information related to Dadar & Nagar Haveli and Daman Diu was yet to be compiled, Lakshadweep & Puducherry; **State:** Nagaland, not notified.

4(b). Subsequent to the initial transfer of funds lying in the ad-hoc CAMPA (along with State wise break-up), National Authority CAMPA has been receiving deposits from the user agencies and making disbursements to States CAMPA. The position of reconciliation of balances between States/UTs and National Authority, CAMPA was test checked and the current position of reconciliation is as follows.

Sl. No.	Total No of states/UTs	No of states/UTs	Status
1	36	13	Reconciliation upto 31.3.2022
2	36*	20	Reconciliation upto 31.3.2023

* No fund in r/o 3 States/UTs

Out of total funds deposited with National Authority amounting to Rs 16850.82 crore, an amount of Rs 15893.14 crore has been reconciled and the remaining amount of Rs 957.68 crore stands unreconciled.

5. The 'Establishment Expenses" of Rs. 81.45 lakh under Schedule–20 related to Income & Expenditure Account included "Administrative Expenses" of Rs. 40.30 lakh incurred on account of payments made towards contractual personnel which resulted in misclassification of the administrative expenses as establishment expenditure.

6. National Authority had refunded an amount of Rs 2.94 crore received on A/c of 10% share from Odisha. The same has been depicted under schedule 23-Interest-others-refund to State from National Fund 10%), since it is not part of interest, it has to be depicted in schedule 22– Expenditure on Grants, Subsidies etc.

7. National Authority had received an amount of Rs 270.11 crore as interest on deposits of funds in public accounts, however the same has been shown under Schedule–17–Interest Earned against "saving accounts with scheduled bank" instead of "GOI-Public Accounts".

8. In its accounts National Authority had shown receipt during the year as Rs 32590.44 lakh whereas as PAO had shown the same as Rs 32738.93 lakh. This had resulted in difference of Rs 148.49 lakh. The same may be reconciled under intimation to audit.

9. National Authority in its accounts under schedule 11 - Bank Balance – on deposit accounts (States) as Rs 1420.23 crore and on Bharatkosh Accounts (State Deposits) Rs 21896.22 crore whereas bank balance on deposit accounts (States) as on 31.03.23 was Rs 1879.07 crore. This had resulted in misclassification of Rs 458.84 crore in both the above stated heads.

D. GRANTS-IN-AID

National Authority did not receive any Grant-in-aid during 2022-23.

According to Section 5 of Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, all non-recurring and recurring expenditure for the management of the National Authority, monitoring and evaluation of works executed by the National Authority and each State Authority and funds released on specific schemes approved by governing body of the National Authority should be incurred from the National Fund.

According to Paragraph 2(7) read with Paragraph 4 and 5 of Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018, all expenditures of the National Authority shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of MoEFCC under the head '2406.04.102.01-National Authority'. The amount spent by the National Authority shall be adjusted by PAO, MoEFCC as Deduct Recoveries from the National Fund under the Public Account of India.

During 2022-23, National Authority was provided a budget of Rs.250.00 crore under the head of account '2406.04.102.01' out of which it incurred an expenditure of Rs.243.59 crore.

(E) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO, National Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated as well as other matters mentioned in *Annexure* to this Audit Report, except for the issues stated in the preceding paragraphs, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National CAMPA, as at 31st March 2023 and
b. In as far as it related to Income & Expenditure Accounts, of the ***surplus*** for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 18/12/23

Director General of Audit (E&SD)

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The National Authority is audited by the Internal Audit Wing of MoEFCC. Internal Audit of National Authority has been conducted up to March 2021. Thus, the internal audit of the National Authority was not conducted for the period 2021-23.

2. Adequacy of Internal Control System

2.1 PBR has not maintained by the National Authority.

2.2 Non-marking of identification marks on fixed items: For proper accounting, inventorization, physical verification, location, write off/auction etc., identification marks on each fixed item is a necessary requirement. However, it has been observed that identification marks are missing. The same may be written on every fixed item.

2.3 The National Authority has procured various items such as conference bags and other stationary items etc. but entries of the same were not been made in the consumable stock register.

3. System of physical verification of fixed assets

The Authority has conducted the Physical Verification of fixed assets for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of fixed assets since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

4. System of physical verification of inventory

The Authority has conducted the Physical Verification of consumables for the period 2022-23 only. However, the pending Physical Verification of inventories since inception to 31st March 2022 has not been done by the Authority.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the Annual Accounts and information furnished by the National Authority, no statutory dues were outstanding over six months as on 31.03.2023.

Deputy Director
(Environment Audit)

***

पुलिया का निर्माण, ओडिशा

वॉच टावर, सिमलीपाल, ओडिशा

वन मार्ग मरम्मत कार्य, सम्बलपुर, ओडिशा

राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्तपोषित वर्ष 2020-2021 की योजनाएँ

6

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा निधि से वित्तपोशित योजनाएँ/परियोजनाएँ निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाई गई हैं –

(करोड़ रुपये में, अवधि वर्षों में)

क्रम सं.	योजना/परियोजना का नाम	आरंभ वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना की लागत	निधि जारी किया गया	मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग	क्रियान्वयन एजेंसी
भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद (ICFRE)							
1	पारिस्थितिक स्थिरता और उत्पादकता वृद्धि के लिए वा. निकी अनुसंधान को मजबूत करना।	2019–20	6	313.67	82.093	आर टी	आई सीएफआरई
वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई)							
1	वन आनुवंषिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एफजीआर)	2015–16	6	8.61	8.61	आर टी	एफआरआई
भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई)							
1(ए)	लुप्तप्राय प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (ईएसआरपी)– गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण योजना का विकास	2015–16	5	23.00	13.80	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई
(बी)	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड–ईएसआ. रपी का आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन	2015–16	5	33.85	23.04	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई
(सी)	मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण (संगाई) का संरक्षण– ईएसआरपी	2015–16	5	19.95	7.714	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई
(डी)	भारत में डुगोंगों और उनके आवासों की पुनर्प्राप्ति– ईएसआरपी	2015–16	5	23.58	13.05	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई

2	एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक विश्व विरासत प्रबंधन और प्रशिक्षण पर यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी)।	2014–15	3	18.66	15.01	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई
3	वन्यजीव रोग, निगरानी और रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की स्थापना।	2020–21	5	3.00	0.25	वन्यजीव	डब्ल्यू आईआई
राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए)							
1	नगर वन योजना	2020–21	5	415.00	124.29	–	एसएफडीए
2	स्कूल नर्सरी योजना	2020–21	5	49.50	1.96	–	एसएफडीए
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट)							
1	उत्तराखंड में वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केंद्र।	2015–16	3	2.784	2.02		यूकोस्ट
प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन)							
1	बॉन चौलेंज पर वन परिदृश्य बहाली और रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकार की बढ़ी हुई क्षमता निर्माण।	2020–21	3.5	5.90	2.95	जीआईएम / एनएईबी	आईयूसीएन
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक. (एनआईसीएसआई)							
1	वार्षिक रखरखाव, उन्नयन और एफसी मॉड्यूल और परिवेश–एनआईसीएसआई के हैंड होल्डिंग समर्थन के लिए परियोजना प्रस्ताव	2016–17	–	–	5.96	एफसी	एनआई सीएसआई
जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएँ (WAPCOS)							
1	प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वन क्षेत्र में एक पायलट वाटरशेड के लिए लीडार सर्वेक्षण के साथ डीपीआर तैयार करना।	2020–21	0.9	18.38	11.22		डब्ल्यू एपीसीओएस

***

शाकंभरी संरक्षण रिसर्व, झुंझुन, राजस्थान

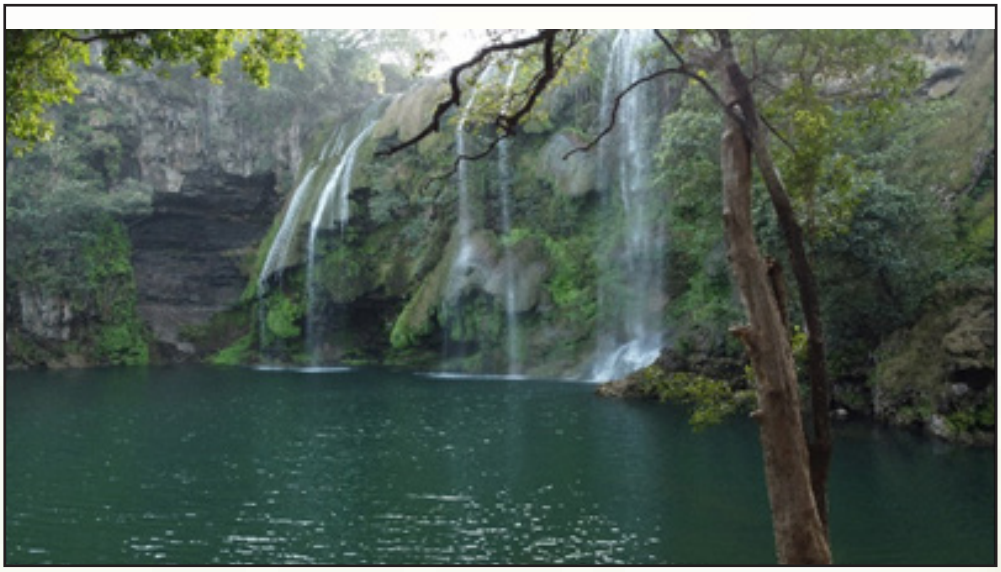

पड़ाझार जलप्रपाक, भैंसरोडगड़ वन अभियाण, राजस्थान

बास संवरधन कार्यक्रम, उदयपुर, राजस्थान

जलाराय निर्माण, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी, राजस्थान

अनिकठ का निर्माण, जयसंमद अभ्यारव्य, उदयपुर, राजस्थान

7

2020-2021 के दौरान कैम्पा के तहत उपलब्धियाँ

7.1. राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा को निधि हस्तांतरित

i. 2019–20 से 31.03.2021 की अवधि तक राष्ट्रीय कैम्पा से राज्य कैम्पा में 48,477.78 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

ii. तदर्थ कैम्पा से प्राप्त धनराशि 31.03.2018 की अवधि तक 54,685.00 करोड़ रुपये जमा हुए और 01.04.2018 से 31.03.2021 तक प्राप्त धनराशि 13087.36 करोड़ रूपये है। इस प्रकार, कुल प्राप्तियां 67,772.36 करोड़ रुपये सार्वजनिक खाते में जमा किये गये। 2018–19 से 2020–21 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरित की गई कुल धनराशि 52,001.37 करोड़ रु है।

7.2. राष्ट्रीय कैम्पा निधि से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एपीओ स्थिति

एपीओ का कुल परिव्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 8,734.48 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा 7,458.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 4755.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	एपीओ स्वीकृत (लक्ष्य)	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निधि	उपलब्धि (निधि का उपयोग)
1	अंडमान एवं निकोबार	4.36	2.13	0.21	0.17
2	आंध्र प्रदेश	340.21	330.82	60.61	59.56
3	अरुणाचल प्रदेश	214.91	155.46	142.80	142.8
4	असम	88.34	88.34	88.34	21.68
5	बिहार	242.11	239.47	239.46	183.2
6	चंडीगढ़	2.26	2.26	2.26	1.92
7	छत्तीसगढ	1380.72	1347.02	700.00	651.64
8	दिल्ली	20.75	19.55	19.55	0.03
9	गोवा	35.43	32.68	32.56	23.39
10	गुजरात	250	169.85	169.85	169.85
11	हरियाणा	211.49	203.95	193	125.29
12	हिमाचल प्रदेश	158.38	158.38	150.99	119.49
13	जम्मू एवं कश्मीर	185.66	184.33	136.13	112.61
14	झारखंड	381.06	376.55	251.78	214.93
15	कर्नाटक	269.16	216.7	173.48	170.48

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय	एपीओ स्वीकृत (लक्ष्य)	राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निधि	उपलब्धि (निधि का उपयोग)
16	केरल	16.06	15.78	15.79	10.88
17	मध्य प्रदेश	982.68	500	500.22	475.06
18	महाराष्ट्र	599.32	599.32	260	236.58
19	मणिपुर	27.88	27.79	27.79	27.79
20	मेघालय	33.97	33.97	22.43	22.43
21	मिजोरम	40.46	32.66	25.99	25.99
22	ओडिशा	803.65	773.39	773.39	674.99
23	पंजाब	187.22	177.85	123.72	128.59′
24	राजस्थान	280.98	280.7	250	192.37
25	सिक्किम	69.03	47.72	47.72	54.84′
26	तमिलनाडु	75.98	66.62	शून्य	शून्य
27	तेलंगाना	603	483.78	352.07	378.35′
28	त्रिपुरा	21.5	21.51	18.35	17.92
29	उत्तर प्रदेश	617	442.01	271.25	252.19
30	उत्तराखंड	490.05	353.64	107.82	252.62′
31	पश्चिम बंगाल	100.86	74	8.48	8.25
कुल		**8736.16**	**7458.23**	**5151.88**	**4755.89**

**उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष निधि शामिल है*

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.3 1980 से 2021 तक कैम्पा निधि के तहत प्रतिकरात्मक वनरोपण (CA) और दंडात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण (CA) और अन्य कार्यों की स्थिति

1980 से 2021 तक 951823.5 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले कुल 834238.5 हेक्टेयर (87.65%) प्रतिकरात्मक वनीकरण पूरा किया जा चुका है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए का लक्ष्य	एफसी अधिनियम, 1980 के तहत सीए/पीसीए की उपलब्धि		सीए/पीसीए का कुल शेष
		हेक्टेयर में	हेक्टेयर में	%	हेक्टेयर में
1	अंडमान एवं निकोबार	2361.502	360.414	15.26	2001.09
2	आंध्र प्रदेश	40111	36548	91.12	3563.00
3	अरुणाचल प्रदेश	38307.21	19397.28	50.64	18909.93
4	असम	8704.4826	8282.574	95.15	421.91
5	बिहार	5202.55	4403	84.63	799.55

6	चंडीगढ़	111.09	111.09	100	0.00
7	छत्तीसगढ	78059.892	72762.343	93.21	5297.55
8	दिल्ली	165.4	165.4	100	0.00
9	गोवा	3541.09	2143.61	60.54	1397.48
10	गुजरात	92216.11	86268.73	93.55	5947.38
11	हरियाणा	13624.54	9717.16	71.32	3907.38
12	हिमाचल प्रदेश	27926.37	26080.8	93.39	1845.57
13	जम्मू एवं कश्मीर	28451	26517.36	93.2	1933.64
14	झारखंड	54708.103	33442.92	61.13	21265.18
15	कर्नाटक	27569.66	26018.71	94.37	1550.95
16	केरल	59486	58652	98.6	834.00
17	मध्य प्रदेश	243788.07	234567.59	96.22	9220.48
18	महाराष्ट्र	7727.661	633.57	8.2	7094.09
19	मणिपुर	7039.08	6710.14	95.33	328.94
20	मेघालय	1318.623	636.2578	48.25	682.37
21	मिजोरम	11508.25	9725.47	84.51	1782.78
22	ओडिशा	75572.17	67828.23	89.75	7743.94
23	पंजाब	1122.02	558.91	49.81	563.11
24	राजस्थान	2200.8	2147.846	97.59	52.95
25	सिक्किम	106.04	106.04	100	0.00
26	तमिलनाडु	3786.655	3259.777	86.09	526.88
27	तेलंगाना	33168.528	25739.557	77.6	7428.97
28	त्रिपुरा	182.796	182.796	100	0.00
29	उत्तर प्रदेश	23960.51	22212.29	92.7	1748.22
30	उत्तराखंड	56294.49	46361.29	82.35	9933.20
31	पश्चिम बंगाल	3501.77	2697.31	77.03	804.46
	कुल	951823.5	834238.5	87.65	117585.00

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.4 1980 से 2021 तक कैम्पा निधि के तहत किए गए सीए और अन्य कार्यों की अद्यतन प्रगतिः राज्य द्वारा एकत्र की गई धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई

राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रतिकरात्मक वनीकरण, अतिरिक्त सीए, दंड सीए, जलग्रहण उपचार योजना, शुद्ध वर्तमान मूल्य और अन्य के लिए एकत्र किए गए 7905.86 करोड़ रुपये प्रमुख मद 8336 के तहत 2020–21 के दौरान सीएएफ अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण को राज्य विशिष्ट बैंक खातों में जमा किए गए हैं। सिविल जमा और विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अनिवार्य कार्य	शुद्ध वर्तमान मूल्य	ब्याज	अन्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार	0.91	1.07	0.15	शून्य	2.13
2	आंध्र प्रदेश	54.85	260.97	15	शून्य	330.82
3	अरुणाचल प्रदेश	66.5	76.46	12.5	शून्य	155.46
4	असम	6.93	79.62	1.79	शून्य	88.34
5	बिहार	24.07	207.69	7.71	शून्य	239.47
6	चंडीगढ़	2.26	शून्य	शून्य	शून्य	2.26
7	छत्तीसगढ	198.81	1131.27	16.84	शून्य	1346.92
8	दिल्ली	12.05	6.74	0.76	शून्य	19.55
9	गोवा	3.15	26.45	3.08	शून्य	32.68
10	गुजरात	50.2	189.49	1	शून्य	240.69
11	हरियाणा	75.97	90.7	37.28	शून्य	203.95
12	हिमाचल प्रदेश	70.38	84.5	3.5	शून्य	158.38
13	जम्मू एवं कश्मीर	16.77	164.39	3.67	शून्य	184.83
14	झारखंड	182.92	183.64	10	शून्य	376.56
15	कर्नाटक	18.59	191.15	3.2	शून्य	212.94
16	केरल	0.87	14.03	0.89	शून्य	15.79
17	मध्य प्रदेश	161.1	692.6	7.26	शून्य	860.96
18	महाराष्ट्र	90.59	484.48	24.25	शून्य	599.32
19	मणिपुर	11.61	16.11	0.06	शून्य	27.78
20	मेघालय	1.91	31.71	0.35	शून्य	33.97
21	मिजोरम	14.88	17.76	0.02	शून्य	32.66
22	ओडिशा	111.43	635.26	26.7	शून्य	773.39
23	पंजाब	37.46	136.18	4.21	शून्य	177.85
24	राजस्थान त्रेंजींद	55.85	213.59	11.25	शून्य	280.69
25	सिक्किम	23.48	28.94	14.48	शून्य	66.9
26	तमिलनाडु	6.06	55.87	0.6	4.1	66.63
27	तेलंगाना	183.25	296.14	4.39	शून्य	483.78
28	त्रिपुरा	3.88	16.63	1	शून्य	21.51
29	उत्तर प्रदेश	29.5	409.18	3.33	शून्य	442.01
30	उत्तराखंड	118	227.39	8.25	शून्य	353.64
31	पश्चिम बंगाल	14.02	53.94	6.04	शून्य	74
	कुल	**1648.25**	**6023.95**	**229.56**	**4.1**	**7905.86**

यूटी – केंद्रशासित प्रदेश, सीए – प्रतिकरात्मक वनरोपण, सीएटी – जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, आईडब्ल्यूएमपी – एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन।
स्रोतरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण।

7.5 केवल प्रतिकरात्मक वनीकरण के तहत राज्यवार वृक्षारोपण (एनपीवी और ब्याज घटक को छोड़कर)

वर्ष 2020–21 में 81% शुद्ध जीवितता प्रतिशत के साथ 415.97 लाख पौधे रोपे गए।

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	रोपे गए पौधों की संख्या (लाख में)	जीवित बचे पौधों की संख्या (लाख में)	अंकुरों के जीवित रहने की संख्या (%)
1	अंडमान एवं निकोबार	0.11	0.083	75.45
2	आंध्र प्रदेश	4.83	4.35	90.06
3	असम	0.78	0.67	85.90
4	बिहार	24.21	24.21	100.00
5	चंडीगढ़	0.14	0.13	92.86
6	छत्तीसगढ	31.74	30.47	96.00
7	दिल्ली	0.55	शून्य	शून्य
8	गोवा	2	1.8	90.00
9	गुजरात	11.33	10.2	90.03
10	हरियाणा	12.4	शून्य	शून्य
11	हिमाचल प्रदेश	11.8	9.68	82.03
12	जम्मू एवं कश्मीर	14.47	8.68	59.99
13	झारखंड	44.87	44.42	99.00
14	कर्नाटक	2.7	2.7	100.00
15	केरल	0.23	0.18	78.26
16	मध्य प्रदेश	94.4	87.33	92.51
17	महाराष्ट्र	6.53	5.84	89.43
18	मणिपुर	10.67	8.76	82.10
19	मेघालय	0.28	0.2	71.43
20	मिजोरम	13.6	11.01	80.96
21	ओडिशा	19.51	15.99	81.96
22	पंजाब	3.12	2.81	90.06
23	राजस्थान	17.06	14.12	82.77
24	सिक्किम	1.17	0.82	70.09
25	तेलंगाना	41.03	35.82	87.30
26	त्रिपुरा	2.03	1.52	74.88
27	उत्तर प्रदेश	13.18	12.65	95.98
28	उत्तराखंड	28.57	शून्य	शून्य
29	पश्चिम बंगाल	2.66	2.51	94.36
	कुल	**415.97**	**336.95**	**81.00**

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण।

7.6 वनरोपण, वन पुनर्जनन, संरक्षण में हरित रोजगार सृजित (दैनिक मजदूरी उत्पन्न)

इसके अंतर्गत 207823.705 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य वृक्षारोपण के विरूद्ध 224137.539 हे. 68969483 व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजित कर कुल व्यय रु. 3,433.42 करोड़ और उन्हें रु। वेतन के रूप में 1,626.93 करोड़ रु.

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	प्राप्त भौतिक लक्ष्य (हेक. टेयर में)	सृजित रोजगार (व्यक्ति दिवस)	कैम्पा के तहत कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	कैम्पा के तहत मजदूरी पर व्यय (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	26	0.001	0.001*
2	आंध्र प्रदेश	7068.95	5645.04	10668600	60.9637	42.6746
3	अरुणाचल प्रदेश	सीए (i) अग्रिम कार्य –10734.27 हे. (ii) सृजन – 1830.17 हे. (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 8378.13 हे. कैट योजना घटक (i) करोड़। वनरोपण वृक्षारोपण – 60 हेक्टेयर। (ii) वृक्षारोपण संवर्धन – 200 हेक्टेयर। (iii) ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण – 210 हेक्टेयर। (iv) अग्रिम नर्सरी 73 हेक्टेयर। एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) –2968 हेक्टेयर। (ii) रखरखाव। एएनआर वृक्षारोपण–182 हेक्टेयर। (iii) कृत्रिम वृक्षारोपण – 3996.25 हेक्टेयर। (iv) रखरखाव। कृत्रिम वृक्षारोपण 1296 हे. (v) एएनआर वृक्षारोपण द्वारा आवास सुधार (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) – 1710.30 हेक्टेयर। ब्याज घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण–1418 हेक्टेयर। और (ii) कृत्रिम वृक्षारोपण–1273 हेक्टेयर।	सीए (i) अग्रिम कार्य –10734.27 हे. (ii) सृजन – 1830.17 हे. (iii) रखरखाव। वृक्षारोपण – 8378.13 हे. कैट योजना घटक (i) करोड़। वनरोपण वृक्षारोपण–60 हेक्टेयर। (iii) वृक्षारोपण संवर्धन – 200 हेक्टेयर। (iii) ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण–210 हेक्टेयर। (iv) अग्रिम नर्सरी 73 हेक्टेयर। एनपीवी घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण (अग्रिम नर्सरी में निर्माण) –2968 हेक्टेयर। (ii) रखरखाव। एएनआर वृक्षारोपण–182 हेक्टेयर। (iii) कृत्रिम वृक्षारोपण–3996.25 हेक्टेयर। (iv) रखरखाव। कृत्रिम वृक्षारोपण 1296 हे. (v) एएनआर वृक्षारोपण द्वारा आवास सुधार (अग्रिम नर्सरी में निर्माण)–1710. 30 हेक्टेयर। ब्याज घटक (i) एएनआर वृक्षारोपण – 1418 हेक्टेयर। और (ii) कृत्रिम वृक्षारोपण–1273 हेक्टेयर। .	2556155	6.6642	55.29672

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शसित प्रदेश	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	प्राप्त भौतिक लक्ष्य (हेक. टेयर में)	सृजित रोजगार (व्यक्ति दिवस)	कैम्पा के तहत कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	कैम्पा के तहत मजदूरी पर व्यय (करोड़ रुपये में)
4	असम	3306.1	79.26	341870	20.69	9.333
5	बिहार	12024.88 हे	11059.53 हे	4650360	183.2	22.5691
		2484.20 कि.मी	2461.20 कि.मी		शून्य	शून्य
6	चंडीगढ़	14.00 हे.	14.00 हे.	37490	1.8	1.5183
7	छत्तीसगढ	13591.33	10397.08	442063	28.5078	13.0851
8	गोवा	359.5 हेक्टेयर एवं 25 कि.मी	353.7 हेक्टेयर एवं 25 कि.मी	77146	3.1873	0.84
9	गुजरात	1019.82	1019.82	2621142	169.85	शून्य
10	हिमाचल प्रदेश	2267	2267	1932130	119.4857	80.8182
11	जम्मू एवं कश्मीर	13364	12474	2161600	108.08	48.636
12	झारखंड	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 4548.143 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 13530 हेक्टेयर, 218.352 किमी, 1330 गेबियन	अग्रिम कार्य– ब्लॉक प्लांट। 3224.858 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 9082 हेक्टेयर, 57.102 किमी 720 गेबियन	29,12,517	124.8936	74.93617
		समापन कार्य – ब्लॉक प्लांट। 3861.75 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 9500 हेक्टेयर, 109.734 किमी 30400 गेबियन	समापन कार्य – ब्लॉक प्लांट। 2734.493 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 7979.53 हेक्टेयर, 53.233 किमी 30400 गेबियन			
		रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 18298.27 हेक्टेयर, सिल्विकल्चर– 12361 हेक्टेयर, 274.784 किमी, 208474 गेबियन	रखरखाव कार्य– ब्लॉक प्लांट। 18289.469 हेक्टेयर, सिल्वीकल्चर– 12361 हेक्टेयर, 274.784 किमी, 208474 गेबियन			
13	कर्नाटक	49922.57	49588.68	4609462	170.4784	153.4306
14	केरल	763.56	483.3	119093	10.88	3.3847
15	मध्य प्रदेश	11614	11614	28538	475.64	28.5384
16	महाराष्ट्र	33299.88	27453.76	1534213	109.6265	60.29458
17	मणिपुर	6056.94	6056.94	497535	28.41	11.1945
18	मेघालय	1344.93	478.658	60784.73	0.19	0.001
19	मिजोरम	6910.0344	6910.0344	323165	16.67398	12.60225

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शसित प्रदेश	वृक्षारोपण का भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	प्राप्त भौतिक लक्ष्य (हेक. टेयर में)	सृजित रोजगार (व्यक्ति दिवस)	कैम्पा के तहत कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	कैम्पा के तहत मजदूरी पर व्यय (करोड़ रुपये में)
20	ओडिशा	49105.5	48164.61	9050452	674.9898	269.7034
21	पंजाब	4792.338	4769.993	2560650	128.5746	94.2319
22	राजस्थान	12200.8	12097.85	4172981	103.3541	88.8845
23	सिक्किम	106.04	106.04	455088	54.8441	13.6527
24	तेलंगाना	7538.765	9162.51	11731756	378.3511	278.0426
25	त्रिपुरा	582.796	582.796	70596	17.9296	5.9261
26	उत्तर प्रदेश	वृक्षारोपण – 13594.94 हे हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 66495 संख्या एएसडब्ल्यू – 22688.24 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 72612 नग मेनट। – 35592.21 हे. हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 888923 संख्या	वृक्षारोपण – 13594.94 हे हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 66495 संख्या एएसडब्ल्यू – 22676.03 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 72149 नग। मेनट। – 35308.75 हे. हेक्टेयर के अलावा अन्य पौधे – 828180 संख्या	5227011	182.367	105.0629
27	उत्तराखंड	5695.76	5114.95	4983010	251.8264	151.0958
28	पश्चिम बंगाल	496.46	267.42	47669	1.9624	1.1774
	कुल	**224137.5**	**207823.7**	**68969483**	**3433.42**	**1626.93**

** उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष निधि शामिल है*

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.7 वनों और संरक्षित क्षेत्रों में किए गए मृदा नमी संरक्षण कार्य

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य किए जाते हैं, जिनका 2020–21 में वार्षिक व्यय रु 517.13 करोड़ है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाब/जल निकाय (संख्या में)	चेक डैम (संख्या में)	अन्य जल संचयन संरचना (संख्या में)	मृदा एवं नमी संरक्षण पर व्यय (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3	5	सीसीटी/एसटी – 61944 (सह में)	1.3205
2	अरुणाचल प्रदेश	0	16035	गेबियन संरचना– 20	12.27835
3	असम	शून्य	1	शून्य	0.145

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तालाब/जल निकाय (संख्या में)	चेक डैम (संख्या में)	अन्य जल संचयन संरचना (संख्या में)	मृदा एवं नमी संरक्षण पर व्यय (करोड़ रुपये में)
4	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	44.66386′
5	छत्तीसगढ	1279	652	4619986	233.143
6	गोवा	64	35	गेबियन – 25 नग, रिटेनिंग वॉल – 11 नग	2.0989
7	हिमाचल प्रदेश	55274	8253	37	21.9067
8	जम्मू एवं कश्मीर	132	2293	4027	6.98
9	झारखंड	शून्य	398	20	26.61168
10	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	0.0796′
11	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	0.025′
12	महाराष्ट्र	354	84	3223	46.5971
13	मणिपुर	15	शून्य	शून्य	0.26
14	मेघालय	शून्य	15	शून्य	1.894
15	मिजोरम	1745	142	500	0.34763
16	ओडिशा	177	75046	552941	35.52982
17	पंजाब	4	20096	1929	6.5967
18	राजस्थान	शून्य	शून्य	90 एनीकट	3.9341
				223 एमपीटी	1.5354
19	सिक्किम	12.25	7.35	29.4	2.3015
20	तेलंगाना	3249 रॉक फिल बांध	483 चेक डैम	844 नग परकोलेशन टैंक, 95 मिनी परकोलेशन टैंक	38.60989
21	त्रिपुरा	शून्य	20	शून्य	1.1711
22	उत्तर प्रदेश	170292.00 घन मी. टर।	18	निर्माण का–	8.6297
				बंधी–467354 घन. एमटीआर .	
				सूखा चेक बांध – 11365 घन मीटर।	
				कंटूर बंड/ट्रेंच– 2933.28 घन मीटर।	
23	उत्तराखंड	2087	5152	समोच्च खाई	20.4738
				895600	
	कुल	**59401.25**	**128110.4**	**5182192**	**517.13**

** उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष निधि शामिल है*

नोटः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.8 वन सुरक्षा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढाँचा/सुविधाएँ बनाई गई।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने वन सुरक्षा और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए 140.19 करोड़ रु के व्यय से 618 क्वार्टर, 68 कार्यालय, 145 चेक पोस्ट का निर्माण किया।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्वार्टर (संख्या में)	कार्यालय (संख्या में)	चेक पोस्ट (संख्या में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	7	3	37	3.6374
2	असम	23	शून्य	शून्य	2.0547
3	बिहार	79	6	शून्य	23.70667
4	छत्तीसगढ	86	13	20	4.2826
5	गोवा	शून्य	1	1	0.1315
6	हिमाचल प्रदेश	9	5	शून्य	0.0214
7	जम्मू एवं कश्मीर	10	1	1	1.005
8	झारखंड	5	शून्य	शून्य	1.99779
9	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	0.7691
10	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	2
11	महाराष्ट्र	42	5	शून्य	11.5233
12	मणिपुर	शून्य	3	1	1.22
13	मेघालय	46	3	1	2.6568799
14	ओडिशा	229	24		54.7527
15	पंजाब	1	शून्य	शून्य	0.1029
16	राजस्थान	वन चौकियां 9 कार्यालय सह निवासी 4	शून्य	शून्य	0.9117
17	सिक्किम	5	0	4	1.25
18	तेलंगाना	133 संख्याएं (एफआरओः 25+16 (स्पिल), एफएसओः29+22 (स्पिल), एफबीओ(22+19(स्पिल))	0	0	9.67644
19	त्रिपुरा	6	3	2	1.4394
20	उत्तर प्रदेश	82	शून्य	शून्य	6.9554
21	उत्तराखंड	2	4	78	9.5672
22	पश्चिम बंगाल	2	2	शून्य	0.530236
	कुल	**618**	**68**	**145**	**140.19**

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवर

7.9.नवोन्मेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग

राष्ट्रीय कैम्पा ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग और राज्य कैम्पा निधियों का उपयोग करके आईटी का उपयोग, मानव–पशु संघर्श से निपटने, एमआईएस/डैशबोर्ड निर्माण, ड्रोन का उपयोग, डिजिटल निगरानी और संचार, सामाजिक लेखापरीक्षा और पारदर्शिता, दक्षता में सुधार, वन सीमाओं का डिजिटलीकरण, डिजिटल वन सूची, पर्यावरण–पर्यटन, आदि जैसी अच्छी प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
1	आंध्र प्रदेश	जियोमैटिक्स गतिविधियां, बुनियादी ढांचे और संचार में सुधार, स्वतंत्र समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन
2	अरुणाचल प्रदेश	ड्रोन की खरीदः 10 नग, कंप्यूटर की खरीदरू 48 नग, जीपीएस की खरीदरू 64 नग, वाय. रलेस सेट की खरीदः 30 नग, प्रोजेक्टर की खरीदः 2 नग।
3	असम	जैव–विविधता पार्क, निगरानी और ओवरहेड, इन–सीटू और एक्स–सीटू संरक्षण
4	चंडीगढ़	वर्ष 2015 में तृतीय पक्ष निगरानी एवं मूल्यांकन
5	छत्तीसगढ	आईटी, सिम कार्ड, निगरानी, कार्यालय स्वचालन, जागरूकता प्रशिक्षण/कार्यशाला, नर्सरी, पशु बचाव केंद्र, मानव पशु संघर्ष
6	गोवा	नगर वन का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, वन्यजीव बचाव को मजबूत करना, एम–स्ट्राइप्स टाइगर निगरानी के लिए स्मार्ट फोन, कार्य दुकानें/जागरूकता अभियान
7	हिमाचल प्रदेश	बंदरों को पकड़ना और उनकी नसबंदी करना, कैम्पा डेटा का डिजिटलीकरण
8	जम्मू एवं कश्मीर	जीपीएस–522 नग, डिजिटल कैमरा–9 नग, कंप्यूटर–40 नग, ड्रोन–2 नग, वॉकी टॉकी–6 नग, सीसीटीवी–10 नग, की खरीद
9	झारखंड	बचाव केंद्र का निर्माण, अभयारण्य का विकास, ड्रैगन टॉर्च की खरीद, ड्रैगन टॉर्च का रखरखाव, सौर स्ट्रीट लाइट की खरीद, मानव–पशु संघर्ष, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल प्रशिक्षण और अद्यतन, जागरूकता सृजन और वन संरक्षण में युवाओं और छात्रों के समर्थन को बढ़ावा देना।
10	कर्नाटक	टेंटेकल सोलर फेंसिंग
11	केरल	बाहरी निगरानी और मूल्यांकन
12	महाराष्ट्र	चारा विकास कार्य (5754 हेक्टेयर। रोपण पूर्व संचालन)– रु. 466.95 लाख
		संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्वैच्छिक स्थानांतरण– रु. 6083.54 लाख
13	मणिपुर	जैव–विविधता संसाधनों का दस्तावेज़ीकरण (पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर) और निगरानी के लिए ड्रोन की खरीद
14	मेघालय	वनों के डिजिटलीकरण, जीपीएस सीमा सर्वेक्षण और पंजीकृत गांव आरक्षित वनों के डिजिटल मानचित्र तैयार करने, बाहरी और आंतरिक निगरानी और मूल्यांकन के लिए डीजीपीएस का अधिग्रहण।
15	मिजोरम	कुछ संभागों में ड्रोन से निगरानी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
16	ओडिशा	304529.20 हेक्टेयर से अधिक 382 वन ब्लॉकों में वन सीमा का डिजिटलीकरण,
		ओएफएमएस पोर्टल के माध्यम से वानिकी गतिविधियों की डिजिटल निगरानी
		(ए) अपने वन स्थान को जानें (बी) मेरा ओडिशा वन जैसे मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करके जनता के लिए पारदर्शिता
17	पंजाब	तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी और मूल्यांकन– 64.44 लाख रुपये, आईटी के लिए उपकरणों की खरीद, आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि 9.75 लाख रुपये, 130 जीपीएस की खरीद रुपये। 16.57 लाख
18	राजस्थान त्रेंजींद	1) डेटा/आकार फ़ाइलों में जीआईएस/जीपीए के उपयोग में प्रशिक्षण सामग्री सहित फील्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण
		2) वन भूमि और वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यशालाएँ
		3) मानव–पशु संघर्ष और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने सहित वन और वन्यजीवों की सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
19	सिक्किम	संरक्षित वन पर ग्राफिकल डेटाबेस का विकास, डिजिटलीकरण और वन सीमाओं का सुधार आदि।
20	तेलंगाना	भू–स्थानिक डेटा का अद्यतनीकरण , एफएमआईएस, ई–ग्रीन वॉच, सीमाओं का सर्वेक्षण, जंगल की आग के डेटा का आकलन, डेटा का विभेदन , रिपोर्ट जनरेटिव, एसएमएस अलर्ट, अग्नि जोखिम ज़ोनेशन मानचित्र, ई–ग्रीन वॉच (आईसीसीईएमएस) डेटा अपडेशन , सर्वेक्षण अधिसूचित वन ब्लॉक, पुराने एफसीए क्षेत्रों का सर्वेक्षण (आउटसोर्सिंग) (भाग) (आउटसोर्सिंग) (भाग), एफएमआईएस और ई–ग्रीन वॉच के लिए आईटी बुनियादी ढांचे की खरीद।
21	त्रिपुरा	फर्म ऐप एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग उप–विभागीय वन अधिकारियों, रेंज अधिकारी, बीट अधिकारियों आदि द्वारा वन्यजीवों को देखे जाने, जब्ती, जंगल की आग की रिपोर्ट करने और गश्त गतिविधि की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। कैम्पा फंडिंग के माध्यम से त्रिपुरा वन विभाग द्वारा इन–हाउस विकसित किया गया। वन घटना रिपोर्टिंग मॉड्यूल (FIRM ऐप) प्ले स्टोर (https://play.google.com/store/apps/details?id=marveldental.in.tfdapp

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरण
22	उत्तर प्रदेश	1. जंगली जानवरों के भटकने की घटनाओं में काफी कमी
		2. सार्वजनिक या जंगली जानवरों को चोट लगने या मृत्यु की नगण्य घटनाएँ
		3. आईटी का उपयोग – वृक्षारोपण, नर्सरी, वन संरक्षण, लकड़ी आधारित उद्योगों से संबंधित गतिविधियों का उत्कृष्ट दस्तावेजीकरण और कामकाज।
		4. प्रमाणित लकड़ी का उत्पादन और राजस्व में वृद्धि।
		5. वृक्षारोपण, नर्सरी एवं वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में जन आंदोलन।
		6. स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर सीए वृक्षारोपण और एनपीवी कार्यों की तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण और एनपीवी से संबंधित कार्यों के लिए अत्यधिक चिंता और रखरखाव होगा।
		7. गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधों का उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, जो वृक्षारोपण के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधे जुटाने में मदद करेगा।
23	उत्तराखंड	1. एमआईएस एक वेब–आधारित एप्लिकेशन है जिसका उपयोग क्षेत्र से भौतिक और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है।
		2. मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के अंतर्गत 18501 बंदरों को पकड़ना, उनका स्थानांतरण एवं बंदर बंध्याकरण
		3. हरिद्वार वन प्रभाग में कुंभ के दौरान बस्तियों और मेला क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए उनकी रेडियो कॉलरिंग
		4. वन्य जीव प्रबंधन हेतु कैमरा ट्रैपिंग का उपयोग
24	पश्चिम बंगाल	एफएसआई द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रशिक्षण, 918.05 हेक्टेयर के सीए वृक्षारोपण की निगरानी, आईटी उपकरणों की खरीद,

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.10 कैम्पा के तहत ग्राम पुनर्वास स्थलों का वन्यजीव आवास के रूप में विकास

अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर रहने वाले परिवारों का उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और सरकार की नीतियों के अनुसार स्वैच्छिक पुनर्वास लोगों के लाभ और वन्यजीव आवास और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के लिए किया गया है। घने जंगलों से लोगों को बाहरी उपयुक्त निवास क्षेत्रों में स्थानांतरित करने से उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलती है। गाँव के स्थानांतरण का विवरण नीचे दिया गया हैरू

क्र.सं.	राज्य	संरक्षित क्षेत्र	गांवों	परिवारों की संख्या	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1[ए]	महाराष्ट्र	मेलघाट टाइगर रि. जर्व	पिली चोपन मालूर	485	60.84
		सरिस्का टेगर रिजर्व	पुरुष कोलाने पाथरपुंज		
3	ओडिशा		खजूरी पिटानाउ	205	10
4	राजस्थान				4.24

स्रोतरू राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.11 खरपतवार/लैंटाना हटाकर वनों का सुधार

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कुल 164320.87 हेक्टेयर क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार की आक्रामक और विदेशी प्रजातियों के लिए खरपतवार और लैंटाना हटाकर वनों में सुधार का कार्य किया है। इस पर खर–पतवार के लिए 128.09 करोड़ रुपये खर्च हुए। कुल 1631.09 हेक्टेयर क्षेत्र पर 126.88 करोड़ रूपये लगे। घास के मैदानों, देशी पौधों आदि के विकास के लिए क्षेत्र का निर्धारण किया गया।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आक्रामक/विदेशी प्रजातियों का नाम	खरपतवार नियंत्रण हेतु लिया गया क्षेत्र		घास के मैदानों/देशी पौधों/आदि का विकास।	कुल व्यय
			भौतिक (हेक्टेयर में)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	हा में.	रुपये में करोड़
1	आंध्र प्रदेश	1.पार्थेनियम 2.एमेरीलिस बेलाडोना 3.लैंटाना कैमारा, आदि।	शून्य	शून्य	शून्य	0.9449′
2	अरुणाचल प्रदेश	लैंटाना और अन्य प्रजातियाँ	58	0.035	शून्य	0.035
3	छत्तीसगढ	लैंटाना/यूपेटोरियम/ छिंद	145974.7	96.3795	शून्य	95.16
4	गोवा	यूपेटोरियम एसपीपी	100	0.141	शून्य	0.141
5	हरियाणा	लैंटाना	1220.72	8.8905	909	4.3883
6	हिमाचल प्रदेश	लैंटाना	1220.72	3.2664	909.58	4.1112
7	जम्मू एवं कश्मीर	लैंटाना	483.11	1.0113	366.3	3.3294
8	झारखंड	लैंटाना	3200	2.47001	6	2.47918
9	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.5251′

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आक्रामक/विदेशी प्रजातियों का नाम	खरपतवार नियंत्रण हेतु लिया गया क्षेत्र		घास के मैदानों/देशी पौधों/आदि का विकास।	कुल व्यय
			भौतिक (हेक्टेयर में)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	हा में.	रुपये में करोड़
10	केरल	सेन्ना स्पेक्टेबिलिस	153	0.2397	9	0.2522
11	महाराष्ट्र	लैंटाना, रेंटुलास (हाइप्टिस)	एपीओ के अनुसार	0.2	शून्य	0.2
12	मेघालय	यूपेटोरियम और अन्य आक्रामक प्रजातियाँ	912.7 हे	0.6637	शून्य	0.6637
13	मिजोरम	लैंटाना कैमारा	एपीओ के अनुसार	0.03	शून्य	0.03
14	ओडिषा	स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रू यूपेटोरियम ओडोरेटम , लैंटाना कैमारा , कैसिया टोरा , ओसीमम बेसिलियम , कॉम्ब्रेटम डिकैंड्रम , पार्थेनिमम एसपीपी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सैलिकोर्निया एसपीपी। साइपरस कोरिम्बोसस, साइपरस कॉम्पे. क्टस, कैसलपिनिया क्रिस्टा, एकैन्थस इलिसिफोलियुन, बुल. बोस्टिलिस बारबटा	909.38 हे.	0.99994	442.5 हे.	3.99994
15	पंजाब	लैंटाना	20	0.1911	0	0.1911
16	राजस्थान	जूलीफ्लोरा के एकलीकरण का रखरखाव	एपीओ के अनुसार	0.4667	शून्य	0.4667
17	तेलंगाना	महावीर/लैंटाना	9573.11	7.78344	349.79	0.643
18	उत्तराखंड	लैंटाना/आक्रामक प्रजातियाँ	3421.23	5.3197	शून्य	5.3197
	ज्वजंस		164320ण्9	128ण्09	1631ण्09	126ण्88

**उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष की अग्रेशित शेष धनराशि शामिल है*

स्रोतः राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

7.12 वर्ष 2020–21 के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रगति रिपोर्ट

वर्ष 2020–21 के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 264215.7 हेक्टेयर कार्य के लिए दिनों में 82563718 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया। भौतिक लक्ष्य 294142 हेक्टेयर के विरूद्ध प्रतिकरात्मक वनरोपण किया गया।

क्र.सं.	राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के नाम	ज़िला	वृक्षारोपण का भौ. तिक लक्ष्य हेक्टेयर में	भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ हेक्टेयर में	रोजगार उत्पन्न हुआ व्यक्तिगत दिनों में
1	आंध्र प्रदेश	13 जिले	18526.35	5539.00	784898
2	असम	29 जिले	2575.00	1944.78	341870
3	बिहार	38 जिले	2266.91	2256.91	4650360
4	चंडीगढ़	21 जिला	14.00	14.00	37490
5	छत्तीसगढ	27 जिले	12896.45	10424.70	8935532
6	गोवा	2 जिले	293.70	293.70	154085
7	गुजरात	33 जिले	1019.84	1019.84	2621142
8	हरियाणा	22 जिले	2689.50	2493.39	2529705
9	हिमाचल प्रदेश	12 जिले	2337.39	2296.32	1531113
10	जम्मू एवं कश्मीर	22 जिले	12066.00	10886.00	1828175
11	झारखंड	24 जिले	11111.74	11099.02	5605872
12	कर्नाटक	30 जिले	14849.44	14849.44	3193909
13	केरल	शून्य	594.09	292.28	24806
14	मध्य प्रदेश	50 जिले	52593.24	51772.87	8540482
15	महाराष्ट्र	33 जिले	25466.29	25466.29	3216217
16	मणिपुर	16 जिले	6918.68	6918.68	1099620
17	मेघालय	11 जिले	1344.93	478.66	60785
18	मिजोरम	शून्य	4952.84	4952.84	194543
19	ओडिशा	30 जिले	76779.40	66460.23	9050452
20	पंजाब	23 जिले	4937.33	4924.34	2560650
21	राजस्थान	33 जिले	12194.06	12097.89	3488384
22	सिक्किम	4 जिले	4209.02	4209.02	630124
23	तेलंगाना	33 जिले	10442.00	9053.00	3846020
24	त्रिपुरा	8 जिले	582.80	582.80	527350
25	उत्तर प्रदेश	75 जिले	12751.33	12751.33	6149607
26	उत्तराखंड	13 जिले	6141.47	5181.64	4983010
27	पश्चिम बंगाल	26 जिले	380.66	277.42	113048
कुल			**294142**	**264215.7**	**82563718**

स्रोतः राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विवरण

***

वृक्षारोपण, मेघालय

पौधाशाला, मेघालय

वृक्षारोपण, तेलंगाना

वृक्षारोपण, तेलंगाना

वृक्षारोपण, तेलंगाना

वृक्षारोपण, तेलंगाना

वृक्षारोपण, तेलंगाना

वृक्षारोपण, तेलंगाना